GOVERNMENT OF HARYANA
हरियाणा सरकार

बजट 2021-22

मनोहर लाल

मुख्य मन्त्री, हरियाणा
वित्त मंत्री के रूप में

बजट भाषण, 12 मार्च, 2021

FINANCE DEPARTMENT, HARYANA   वित्त विभाग, हरियाणा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष वर्ष 2021–22 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021–22 के लिए बजट कोविड–19 से उत्पन्न अप्रत्याशित वैश्विक संकट के साये और ऐसी चुनौतियों के बीच तैयार किया गया है, जो पहले कभी सामने नहीं आईं। तथापि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में हमारा राष्ट्र इस संकट से निपटने में सक्षम रहा है। भारत ने लगभग 98 प्रतिशत रिकवरी दर के साथ कोविड–19 की गति को धीमा किया है। भारत उन देशों में से एक है, जहां प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 112 की न्यूनतम मृत्यु दर है और तुलनात्मक रूप से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर लगभग 130 न्यूनतम सक्रिय मामले हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, जो कोविड–19 के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सक्षम हुए हैं। कोविड–19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की विश्वभर में सराहना हुई है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता और कौशल में उनके विश्वास की अभिव्यक्ति है। भारत सरकार ने लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपये के संचित वित्तीय प्रोत्साहन के साथ, चरणों में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। वर्ष 2021–22 के केन्द्रीय बजट में 'वी–शेप' आर्थिक रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने भी कोरोना संक्रमित लोगों को कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके तथा समाज के जरूरतमंद वर्गों तक राहत पैकेज जैसेकि–भोजन, नकदी और अन्य मूलभूत वस्तुएं और सेवाएं तेजी से पहुंचाकर कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने में काफी अच्छा काम किया है। हमने कोरोना के कारण केवल 1.11 प्रतिशत मृत्यु दर के साथ लगभग 98 प्रतिशत रिकवरी दर हासिल की है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड–19 महामारी से प्रभावित लोगों को तत्काल वित्तीय और चिकित्सा

सहायता तथा अन्य राहत पैकेज प्रदान करने के लिए आमजन से दान स्वीकार करने के उद्देश्यों के साथ हरियाणा कोरोना राहत कोष का गठन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापक जनहित में हरियाणा कोरोना राहत कोष में किए गए उदार अंशदान के लिए मैं प्रदेश के आमजन, उद्योग जगत, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों तथा राज्य के विधायकों और सांसदों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और सराहना करता हूँ। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों का मैं बाद में उल्लेख करूँगा।

3. माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी भाव के साथ, मैं वर्ष के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियां और आगामी वर्षों में आर्थिक वृद्धि तथा मानव विकास हासिल करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण और कार्य–योजना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पूंजी निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना इस वर्ष के बजट का मुख्य केंद्र–बिंदु है। इसमें मध्यावधि परिव्यय ढांचे (एमटीईएफ) के रूप में 8,585 करोड़ रुपये की मुक्त निधि के आवंटन द्वारा इसकी संरचना में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। विकास की गति को तेज करने में आर्बिटल रेल कारिडोर, बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों और रियल एस्टेट निवेश न्यासों के माध्यम से परिसम्पत्ति मुद्रीकरण, मानेसर के निकट ग्लोबल सिटी, जिला सोनीपत के गन्नौर में अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मण्डी सरकार की कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं हैं।

4. हमारी सरकार ने 5080 गांवों में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की है और वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान इसका अन्य गांवों में भी विस्तार करने के प्रयास किये जाएंगे।

5. माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से, पिछले वर्ष मैंने राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के विचारों और सुझावों को बजट में शामिल करने के लिए उनके साथ पूर्व बजट परामर्श की पहल की थी। महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के विधायकों और सांसदों से प्राप्त 527 सुझावों में से, 200 सुझावों को पिछले वर्ष के बजट में शामिल किया गया। वर्ष 2020–21 के दौरान उनमें से 71 सुझाव लागू किए जा चुके हैं और शेष 129 सुझाव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

6. इस वर्ष के लिए, मैंने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों तथा अन्य प्रतिष्ठित हितधारकों से बजट 2021–22 के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और

विचार सांझा करने का अनुरोध किया था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विधायकों और सांसदों से 410 सुझाव मिले हैं, जिन पर मैंने इस बजट प्रक्रिया में यथोचित ढंग से विचार किया है।

सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा का निर्माण

7. असाधारण परिस्थितियों में असाधारण नीतियों की आवश्यकता होती है। चूंकि कोविड–19 महामारी ने अप्रत्याशित चुनौतियां पेश की हैं और हमें कई सबक सिखाए हैं, जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इससे हमें स्वयं को और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के अपार अवसर भी मिले हैं। चूँकि हम धीरे–धीरे संकट से उबर रहे हैं, हमें और भी बड़े पैमाने पर रिकवरी और पुनरोत्थान की दिशा में रणनीतिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मैं इस बजट को हरियाणा के लिए विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का एक अवसर मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लिए 'वी–शेप' रिकवरी हेतु, एक सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा के लिए यह रणनीति चार स्तंभों के आधार पर तैयार की गई हैं। ये चार प्रमुख स्तंभ हैं– प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क–एमटीईएफ रिजर्व फण्ड बनाना, परिणाम आधारित विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करना।

8. **प्राथमिकताएं** : बजट के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, जो विशेष रूप से संकट के समय अर्थव्यवस्था में उछाल के लिहाज से अति आवश्यक हैं। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है, जिन पर हमें रिकवरी और पुनरोत्थान के लिए ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के इस समय में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है और हमारी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है। हरियाणा के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों को सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण तथा जल संरक्षण के माध्यम से कृषि के लिए हमारे हस्तक्षेपों और योजनाओं पर बल देने का प्रयास है। इन पहलों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाकर ही पोषित किया जा सकता है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य नेटवर्क का विस्तार हो, टीकाकरण की पहुंच बढ़ाना हो, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और इसी तरह के अन्य कार्य हों, खेत पर ही प्रसंस्करण की अवसंरचना विकसित

करना हो या फिर फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई, विशेषकर सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो। रेल और सड़क अवसंरचना लॉजिस्टिक्स प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी और पुनरोद्धार को सुनिश्चित कर सकती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना बेहद जरूरी है।

9. **मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड** : हालांकि बजट का आवंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है, कई परियाजनाओं की परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक की होती है। हमारी सरकार इस वास्तविकता को भली–भांति समझती है कि व्यावहारिक योजना के लिए आवश्यक है कि कई परियोजनाओं, विशेषकर जिनमें बुनियादी ढांचा शामिल होता है, के लिए तीन से 10 वर्ष की अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए। अतः मैं बजट में ऐसी परियोजनाओं के लिए मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क का प्रावधान करके एक नई रणनीति प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि, नियमित आवंटन करते समय परम्परागत वार्षिक समय–सीमा का पालन किया जाएगा, मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क विशेष रूप से सृजित किए गए कोष में निहित रहेगा, जिसमें से वर्ष भर आवंटन करने की सुविधा होगी। एमटीईएफ रिजर्व फंड हर वार्षिक बजट में किए गए आवंटन को औचित्य के साथ प्रस्तुत करेगा और अंततः इसका विधानसभा से अनुमोदन होगा। यह पथ–प्रदर्शक और अपनी तरह की पहली वित्त पोषण संरचना आवंटन की अनिश्चितता को दूर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाएं उचित और सतत ढंग से बनाई जाएं। आरक्षित कोष के अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बहुविध क्षेत्रों में निहित परियोजनाओं हेतु आवंटन में लचीलापन और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है।

10. चालू वर्ष के दौरान, मेरी सरकार ने कठोर, वित्तीय विवेकपूर्ण उपायों को अपनाकर लगभग 8585 करोड़ रुपये की उधारी क्षमता का उपयोग नहीं किया। अनिवार्यतः, इसका अर्थ है कि हम अपनी उधार लेने की सीमा को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के मूल प्रावधानों के आसपास बनाए रखने में कामयाब रहे। जैसाकि भारत सरकार ने अब अनुमति दे दी है कि उधार लेने की सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है, हमने आवश्यकतानुसार लगभग 8585 करोड़ रुपये की इन प्राप्तियों का उपयोग लघु अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क आरक्षित निधि के लिए करने का निर्णय

लिया है। ये निधियां उन परियोजनाओं के लिए निर्धारित की जाएंगी, जिनमें अंतर–क्षेत्रीय निहितार्थ एवं लम्बी परिपक्वता अवधि है। हम इस वर्ष इस कोष के तहत निर्धारित निधियों का उपयोग विशेष परियोजनाओं पर करने के इच्छुक हैं, जो स्वास्थ्य, कृषि तथा अवसंरचना पर केंद्रित हैं। ऐसी विशेष परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ–साथ चिकित्सा अवसंरचना का विस्तार जैसेकि जिला अस्पतालों का 200 बिस्तर तक उन्नयन करना, मातृ एवं बाल अस्पतालों की स्थापना करना, जैव सुरक्षा प्रयोगशालाएं, गन्नौर में अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी, पिंजौर में सेब मंडी, सेरसा (सोनीपत) में मसाला मंडी, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के साथ–साथ विशिष्ट परियोजनाएं जैसेकि– ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, दिल्ली और करनाल के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार तथा इसी तरह की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

11. **परिणामोन्मुखी वृद्धि** : मेरी सरकार ने परिणाम हासिल करने पर विशेष बल दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धनराशि का आवंटन और व्यय फलदायी तरीके से किया जाए, जोकि विशिष्ट परिणामों पर लक्षित हो। इस उद्देश्य के लिए, हमने विभिन्न योजनाओं के बजटीय आवंटनों तथा केन्द्रित कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे गर्व है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने बजट में आवंटित एक–एक रुपये के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क विकसित किया। हमने इस फ्रेमवर्क को पिछले बजट के साथ प्रस्तुत किया और हमने इस वर्ष भी इस प्रथा को जारी रखा है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य भी है, जिसने विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों के तहत प्रगति को बजटीय परिव्यय के साथ जोड़ा है। हमने यूएनडीपी के सहयोग से एक एसडीजी समन्वय केंद्र की स्थापना की है और हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से हम इसे और आगे ले जाने का इरादा रखते हैं। परिणामों पर इस केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, हम विज़न 2030 को साकार करने में पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ेंगे। रोजगार सृजन अल्पावधि से मध्यावधि का परिणाम है। हमने इस सम्बन्ध में कई प्रमुख पहल की हैं, जिसमें देश का पहला और एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय, सक्षम युवा कार्यक्रम, अनूठा रोजगार पोर्टल शामिल है, जो रोजगार के अवसरों के लिए नौकरी के इच्छुक युवाओं के कौशल का मानचित्रण करता है।

12. **क्रियान्वयन पर बल** : शासन और सेवा प्रदायगी में सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ पात्र लाभार्थियों पर लक्षित हों। मुझे सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि पिछले वर्ष की गई परिवार पहचान पत्र की पथ–प्रदर्शक पहल ने तेजी से प्रगति की है और व्यापक कवरेज हासिल की है। यह पहल नागरिकों को 'पेपरलेस', 'फेसलेस' सेवा मुहैया करवाकर 'ईज ऑफ लिविंग' को बेहतर बनाने में दूरगामी साबित होगी। इससे राज्य में नागरिक सुविधा बढ़ाने और सुशासन हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके क्रियान्वयन में हमारी रणनीति अंत्योदय–'अंतिम व्यक्ति तक पहले सेवा पहुंचाना और उत्थान करना' के सिद्धांत पर आधारित है। भारत सरकार के सफल महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए, हम राज्य के सबसे कम विकसित खंडों में व्यापक और परिवर्तनकारी विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वाकांक्षी खंड दृष्टिकोण अपनाकर उनके विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 'शासन कम से कम–सुशासन अधिकतम' के सिद्धान्त की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राज्य ने विभिन्न अधिनियमों के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त करके विनिर्माण उद्योग पर अनुपालन बोझ को कम किया है। सरकार ने विभागों में विभिन्न लाइसेंसों के लिए स्वतः नवीनीकरण का भी प्रावधान किया है। राज्य सरकार, भारत सरकार के 'न्यूनतम विनियामक अनुपालन' की प्रतिबद्धता पर भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और साथ ही जिला स्तर पर कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गये हैं।

13. यह चार स्तंभीय दृष्टिकोण 'वी–शेप' रिकवरी हासिल करने तथा उदीयमान अर्थ–व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने की हमारी रणनीति का आधार है। हरियाणा में आर्थिक विकास की गति राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की आय और खरीद क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। हमने विशेष रूप से तैयार की गई कार्य–योजना को अपनाने का निर्णय लिया है और उम्मीद है कि यह हमारे राज्य के आर्थिक सफर में स्थायी, समावेशी और जमीनी स्तर के विकास के साथ जीवंत और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

स्थूल मानक

14. सही अर्थों में, वर्ष 2014–2020 तक की अवधि में हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत वृद्धि दर 6.24 प्रतिशत रही, जो 2014–15 में 370534.51 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020–21 में 528069.75 करोड़ रुपये हो गई। दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत वृद्धि दर 4.28 प्रतिशत रही। परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी निरन्तर बढ़ी है। हालांकि, कोविड–19 महामारी के कारण अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 2020–21 में 7.96 प्रतिशत का संकुचन हुआ है। इसकी तुलना में, हरियाणा में 2020–21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 5.65 प्रतिशत संकुचन दर्ज किया गया।

15. हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत से तुलनात्मक रूप से अधिक रही है, जोकि पिछली वृद्धि से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। वर्तमान मूल्यों पर अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 2014–15 में 86,647 रुपये थी, जो 2019–20 में बढ़कर 1,34,186 रुपये हो गई, जबकि हरियाणा में यह 2014–15 के 1,47,382 रुपये से बढ़कर 2019–20 में 2,47,628 रुपये हो गई। वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020–21 में, अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय घटकर 1,27,768 रुपये और हरियाणा के मामले में 2,39,535 रुपये रह गई।

16. कृषि प्रधान राज्य से औद्योगिक राज्य के रूप में हरियाणा के संरचनात्मक परिवर्तन की विकास यात्रा ने सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के साथ पश्च–प्रभावी आर्थिक विकास में राज्य की मदद की है। कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2011–12 में 44.9 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 51.1 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2020–21 में, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 19.1 प्रतिशत हो गई, परन्तु द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा घटकर क्रमशः 30.0 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा 50.9 प्रतिशत रह गया।

17. वर्ष 2019–20 में, कुल प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान 98.96 प्रतिशत रहा और शेष हिस्सेदारी (1.04 प्रतिशत) खनन क्षेत्र की रही, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में उभरकर आए। वर्ष 2019–20 के लिए कुल द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 70.99 प्रतिशत, जबकि निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 25.21 प्रतिशत थी। इसके अलावा, यह ध्यान रखना

महत्वपूर्ण है कि विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2011—12 में 61.61 प्रतिशत से बढ़कर 2019—20 में 70.99 प्रतिशत हो गई, जिससे प्रदर्शित होता है कि हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है।

18. हरियाणा में तृतीयक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से दो विशिष्ट समूहों के कारण थी— पहले समूह में रियल एस्टेट, आवासीय और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व शामिल है, जिसके बाद व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां का नम्बर आता है। सबसे पहले, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों क्षेत्र कुल मिलाकर तृतीयक क्षेत्र का लगभग 64.2 प्रतिशत हैं। विशेष रूप से, बढ़ती प्रवृत्ति के साथ रियल एस्टेट, आवासीय और व्यावसायिक सेवाओं के स्वामित्व की हिस्सेदारी सबसे अधिक है क्योंकि इसका हिस्सा 2011—12 में 33.30 प्रतिशत से बढ़कर 2019—20 में 34.02 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान 26.93 प्रतिशत से 30.14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दूसरी उच्चतम हिस्सेदारी व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां की रही।

बजट 2021—22

19. पिछले वर्ष मैंने विभिन्न 132 योजनाओं का युक्तिकरण किया था, अब परिणाम में सुधार करने और बेहतर तालमेल करने के लिए मैंने निर्दिष्ट सेक्टोरल क्षेत्रों में विभागों का विलय करके तथा उनकी बजट सम्बन्धी मांगों में परिवर्तन व उन्हें आपस में विलय कर बजट का आवंटन किया है।

20. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2021—22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करता हूँ जो कि संशोधित अनुमान 2020—21 के 1,37,738 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत अधिक है। बजट परिव्यय में 25 प्रतिशत 38,718 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च और 75 प्रतिशत 1,16,927 करोड़ रुपये राजस्व खर्च के रूप में शामिल है।

21. मैंने इस वर्ष के बजट आबंटन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी संरेखित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,55,645 करोड़ रुपये के कुल बजट में से 45,066 करोड़ रुपये राज्य में क्रियान्वित की जा रही एसडीजी से संबंधित योजनाओं के लिए आबंटित किए गए हैं, जिनका विवरण एक अलग दस्तावेज में दिया गया है। यद्यपि कोविड—19 संकट अचानक आया तथापि हम पूर्ववर्ती सालों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण इसके दुष्प्रभाव को कम करने में सफल रहे हैं। हमारी सरकार ने ऐसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अत्यधिक

काम किया है। हमने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करने, अन्तिम व्यक्ति तक पहुंच के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का काम किया है। पिछले साल के बजट में वेंटिलेटर और एएलएस एम्बूलेंस की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। मैंने पिछले साल के बजट में राज्य में सभी जिलों में एमआरआई, कैथ लैब और सिटी स्केन की सुविधाओं के विस्तार प्रस्ताव किया था, जो अब क्रियान्वित किया जा रहा है।

22. हमारी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार और कृषि क्षेत्र सहित आधारभूत ढांचे में निवेश के लिए काम करती रहेगी।

राजकोषीय मानक

23. माननीय अध्यक्ष महोदय! हरियाणा ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विनियमों (एफ.आर.बी.एम.) का पालन करते हुए अपने राजकोषीय घाटे को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के भीतर रखने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि, कोविड–19 संकट के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियों के रुकने से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति पर भारी दबाव पड़ा है। दूसरी ओर चिकित्सा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में इस महामारी से राहत के उपायों के कारण खर्च में भारी वृद्धि हुई है। इससे राज्य का राजकोषीय घाटा और भी बढ़ा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020–21 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत तक किया था। हालांकि, संकट की इस घड़ी में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन से हम 40,661 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त ऋण राशि को लगभग 30,000 करोड़ रुपये के बाजार उधार तक सीमित रखने में सक्षम हैं और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020–21 के लिए राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से कम रहने की उम्मीद है।

24. संशोधित अनुमान 2020–21 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.90 प्रतिशत अनुमानित है। आगामी वर्ष 2021–22 के लिए यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83 प्रतिशत अनुमानित है, जोकि पूरी तरह से 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 4.0 प्रतिशत की सीमा के अन्दर है।

25. हम ऋण देयता को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2020–21 में ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 23.27 प्रतिशत

अनुमानित है। आगामी वर्ष के बजट अनुमान 2021–22 के लिए यह 25.92 प्रतिशत अनुमानित है। यह ऋण 2021–22 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 32.6 प्रतिशत की सीमा से बहुत कम है।

कोविड–19 महामारी के दौरान विशेष उपाय

26. जब मार्च, 2020 में हरियाणा में पहले मामले का पता चला तो कोविड–19 की पुष्टि के लिए राज्य में कहीं भी कोई जांच सुविधा नहीं थी। आरटी–पीसीआर परीक्षण के लिए सभी नमूने पुणे भेजे जाते थे। समय की आवश्यकता को समझते हुए, हमने जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आरटी–पीसीआर लैब स्थापित की। सरकारी प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, निजी प्रयोगशालाओं को भी सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर परीक्षण के लिए अधिकृत किया गया। हमारे राज्य में कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन बैड, आईसीयू बैड और वेंटिलेटर की सुविधा से लैस पर्याप्त कोविड अस्पताल हैं। राज्य ने टेली–कॉलिंग के माध्यम से घरों में एकांतवास में रह रहे रोगियों की ट्रैकिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से विकसित किया है क्योंकि ऐसे मरीजों को परामर्श की आवश्यकता होती है।

27. राज्य ने आपातकालीन उपयोग के लिए दो कोविड–19 टीकों–सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायो–टेक के कोवेक्सिन को अधिकृत किया है और 13 जनवरी, 2021 को प्रथम आपूर्ति में कोविशील्ड की 2,41,500 खुराकें और कोवेक्सिन की 20,000 खुराकें प्राप्त हुई हैं। हमारे पास कोविड–19 वैक्सीन को स्टोर करने के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन स्पेस उपलब्ध है।

28. कोविड–19 की रोकथाम के प्रयोजनों के लिए राज्य के विभिन्न उपायुक्तों को 9.10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान (43.59 करोड़ रुपये), शहरी स्थानीय निकाय (7.01 करोड़ रुपये), गृह (4.29 करोड़ रुपये) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (76.96 करोड़ रुपये) विभागों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में से 131.85 करोड़ रुपये की राशि भी उपलब्ध करवाई गई।

29. कोविड–19 महामारी के दौरान, सरकार द्वारा 17 लाख से अधिक परिवारों को, जिनमें मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, बीपीएल परिवार, अन्य निर्माण श्रमिक, और गैर–संगठित क्षेत्र के श्रमिक को वित्तीय सहायता दी गई।

इसके अलावा, 4.67 लाख ऑपरेशन 'सम्वेदना' के तहत 8.21 करोड़ रुपये के व्यय से 4.44 लाख प्रवासी क्षमिकों को 100 विशेष श्रमिक ट्रेनों और 6629 बसों के माध्यम से उनके मूल राज्यों में भेजा गया।

30. कोविड–19 महामारी के दौरान सरकार ने फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के रूप में पदनामित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर विभिन्न पहलें की हैं। सेनेटरी नैपकिन और डायपर्स सहित 10 लाख मास्क तैयार किये गये और सभी जिलों में प्रवासियों में मुफ्त वितरित किये गये। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड–19 महामारी से बचाव के उपायों जैसे कि हाथ धोना, सेनिटाइजर का उपयोग, मुंह ढकना, स्वच्छता, मुंह–नाक आदि को न छूना की जानकारी भी प्रदान की गई। आवश्यक खाद्य पदार्थों जैसे कि फल, बिस्कुट, अनाज– गेहूं, चावल, सोयाबीन, बेसन, तेल, चीनी और मसाले सहित पका हुआ भोजन मुफ्त बांटा गया। कोविड–19 महामारी के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी लाभार्थियों को घरद्वार पर ही सूखा राशन और सूखा दूध उपलब्ध करवाया गया।

31. हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत 'डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम' लागू की। इसके तहत जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था और जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उन्हें प्रति परिवार पांच किलो गेहूं और एक किलो दाल बांटे गये।

32. अब मैं आत्मनिर्भर हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पित विषयगत हस्तक्षेपों को सरकार के विजन के साथ जोड़ना चाहता हूँ।

I. समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान

33. महात्मा गांधी के विचार हमारी सरकार का प्रकाश स्तम्भ की तरह मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा था 'सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति के चेहरे को याद करें और अपने आप से पूछें कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ क्या वह उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है।' अंत्योदय अर्थात सबसे गरीब व्यक्ति के आर्थिक उत्थान का यह सिद्धांत हमारी सरकार के लिए मार्गदर्शक है। आज के दिन 91 साल पहले महात्मा गांधी ने आजादी के लिए अपने अनुयायियों का नेतृत्व करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा

निकाली थी। आज मैं इस अवसर पर एक नई योजना–'मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान' शुरू करने की घोषणा करता हूँ। इस अभियान के लिए परिवार पहचान पत्र से डाटा का सत्यापन किया जाएगा और राज्य में एक लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। इन परिवारों की न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख रुपये वार्षिक करने के उद्देश्य से उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा, कौशल विकास, वेतन रोजगार, स्व–रोजगार और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा और लागू किया जाएगा। जब इन एक लाख परिवारों का सफलतापूर्वक उत्थान हो जाएगा तो सरकार अगले एक लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करेगी और उनके आर्थिक उत्थान के लिए काम करेगी।

34. मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान हर पहचान किए गए परिवार के उत्थान के लिए योजनाओं अथवा योजनाओं के सेट की पहचान करने के लिए सरकार की सभी योजनाओं को समायोजित करने वाला व्यापक मिशन होगा। पहचान किए गए निर्धनतम परिवारों के उत्थान को सरकार का हर विभाग उसके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में प्राथमिकता देगा। हम सब मिलकर इस अभियान को वर्ष 2025 तक चलाएंगे और मुझे उम्मीद है कि तब राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला कोई परिवार नहीं बचेगा। वित्त वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान के अन्तर्गत लगभग 2 लाख परिवारों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार की नीति इन परिवारों को सामाजिक आर्थिक सीढ़ी के अन्तिम पायदान पर अनिवार्य रूप से कवर करने की है। इसके बाद एक लाख परिवारों के अगले सेट को कवर किया जाएगा तथा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समाज के सभी कमजोर वर्गों को कवर किया जाएगा।

35. हमने वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, किन्नरों, बौनों, अल्पसंख्यकों और केवल एक बेटी/बच्चा वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, किन्नर व बौना भत्ता के रूप में प्रतिमास 2250 रुपये वितरित किए जा रहे हैं। बेसहारा बच्चों को 1350 रुपये प्रति मास और स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांग बच्चों को 1650 रुपये प्रति मास की वित्तीय सहायता वितरित की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के 28.17 लाख लाभार्थियों के खातों में पीएफएमएस के माध्यम से पेंशन वितरित की जा रही है।

36. समाज के बुजुर्गों की समस्याओं के दृष्टिगत और उनके प्रति अपार सम्मान व्यक्त करते हुए मैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता इस वर्ष पहली अप्रैल से 2500 रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

37. वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा के अनुसार, 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के अंतर्गत लाभपात्रों को शादी से पहले या शादी के दिन ही इस योजना का लाभ देने के लिए योजना का सरलीकरण किया गया है।

38. अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ० अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत कक्षा 11वीं, स्नातक के प्रथम वर्ष और स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में 8000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा के उनके अंकों के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

39. हमारी सरकार 2 लाख 50 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एचटीईटी, सीजीएल और एनईईटी व जेईई इत्यादि के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से मुफ्त कोचिंग प्रदान कर रही है।

40. कानूनी सहायता योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लोगों को अदालतों में संपत्ति, कृषि भूमि, किराया और आरक्षण आदि से संबंधित मामलों की पैरवी का खर्च पूरा करने हेतु 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मैं इसे बढ़ाकर 22,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

41. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना के अनुसार लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, समेकित बाल विकास योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, समेकित बाल संरक्षण योजना, पोषाहार अभियान, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर और महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र जैसी अनेक पहलें क्रियान्वित कर रहे हैं।

42. लक्षित 4,000 प्ले–वे स्कूल खोलने के प्रस्ताव से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। पहले चरण में, स्कूल परिसरों या विभागीय भवनों में संचालित 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले–स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा और मार्च, 2021 से

परिचालित किये जाएंगे। दूसरे चरण में, 2021–22 में 2865 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले–स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।

43. इसके अलावा, दो चरणों में 500 क्रेचों को भी संचालित किया जाएगा। पहले चरण में, 2020–21 में 182 क्रेच पहले से ही स्वीकृत हैं और आधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 में विभिन्न जिलों में कामकाजी महिलाओं की संख्या का आकलन करने के बाद मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करके शेष 318 क्रेच शुरू किए जाएंगे।

44. राज्य सरकार ने लिंग संवेदीकरण योजना के तहत दिसंबर, 2020 तक लगभग 13.64 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 11 लाख महिलाओं एवं किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करके 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित किया है।

45. पोषण अभियान का लक्ष्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण की स्थिति पर बल देना है। हरियाणा के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में वर्ष 2020–21 के दौरान 1.22 करोड़ प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।

46. नई शिक्षा नीति–2020 के विजन के अनुरूप, सरकार अगले एक साल में आंगनवाड़ियों की कार्य प्रणाली में सुधार लाएंगी और शेष बचे 21,962 आंगनवाड़ियों के माध्यम से गुणवत्तापरक खेल–खेल में सीख या स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करेगी। प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश से पहले छोटी आयु के बच्चों के लिए एक ठोस मौलिक आधार बनाने से उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एम०एम०पी०एस०वाई०)

47. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, जिसे समाज के वंचित वर्गों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। यह हरियाणा के किसानों एवं असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन तथा परिवार भविष्य निधि के आश्वासन के साथ राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जीवन एवं दुर्घटना बीमा सुनिश्चित करके उनकी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस योजना को भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार किया गया

है। इस योजना का उद्देश्य 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति वर्ष तक की आय और 5 एकड़ प्रति परिवार तक की कुल भूमि जोत तथा परिवार पहचान पत्र संख्या वाले परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

48. हरियाणा सरकार की राज्य बीमा न्यास के माध्यम से एक सर्वसमावेशी बीमा स्कीम शुरू करने की योजना है। इसमें दुर्घटना या किसी अनहोनी घटना में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की मृत्यु होने पर विस्तृत बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। यह स्कीम क्रियान्वित होने पर संबंधित विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों का स्थान लेगी।

49. मैं बजट अनुमान 2021–22 में 10,798 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो कि संशोधित अनुमान 2020–21 के 10,118 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस 10,798 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय में से अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लिए 524 करोड़ रुपये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 7,828 करोड़ रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 1,621 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 824 करोड़ रुपये हैं।

II. कृषि एवं किसानों का आर्थिक विकास

50. हम ऋणी हैं किसानों के जिन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से हरियाणा को देश का खाद्यान्न भण्डार बनाया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम किसानों की आय दोगुनी करने और उनका कल्याण व उत्थान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन–एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन; कीट प्रबंधन; गुणवत्तापरक आदानों (उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि) की उपलब्धता; क्षारीय और लवणीय जल–भराव वाली मृदाओं का सुधार; जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण; खेत में जल प्रबंधन; फार्म मशीनीकरण को प्रोत्साहन; क्षेत्र की कवरेज और उपज का आकलन, फसल विविधीकरण तथा फलों व सब्जियों को प्रोत्साहन; जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

मृदा स्वास्थ्य और फसल चयन

51. मैं इस वर्ष 'हर खेत–स्वस्थ खेत' नामक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा करता हूँ। इस अभियान में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के

आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाएगा। यह मृदा स्वास्थ्य से लेकर फसलों के चयन, इनपुट्स और प्रंसस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध करवाने का एक प्रयास है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर फसलों की बिजाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों द्वारा फसल की बिजाई की विस्तृत जानकारी 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर 9.14 लाख किसानों ने पंजीकरण करवाया है।

52. अप्रैल, 2021 से प्रत्येक एकड़ के मृदा नमूनों के संग्रहण और जांच का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा और आगामी 3 वर्षों में राज्य के पूरे क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसानों को घर–द्वार पर मृदा जांच सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंडियों व सरकारी भवनों में 17 नई स्थैतिक मृदा जांच प्रयोगशालाएं और 59 मिनी–मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। 14 नई मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष मृदा जांच प्रयोगशालाओं का कार्य प्रगति पर है।

53. किसानों और विज्ञान के विद्यार्थियों में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने, विज्ञान के विद्यार्थियों को मृदा व पानी के नमूनों की जांच तथा उन्हें एक उद्यमी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। पहले चरण में, वर्ष 2020–21 के दौरान मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु कुल 115 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों का चयन किया गया है। वर्ष 2021–22 के दौरान स्कूलों/कॉलेजों/तकनीकी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लगभग 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे एक ओर तो किसानों को लाभ होगा और दूसरी ओर विद्यार्थियों को earn while learn scheme के माध्यम से एक अनूठा अवसर मिलेगा। कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के पाठयक्रम में यह अनिवार्य होगा कि वे क्षेत्रीय गतिविधियों के साथ जुड़े।

54. क्षारीय और लवणीय मृदा के उपचार हेतु योजना में किसानों की भागीदारी के लिए एक नया पोर्टल स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2021–22 में कम से कम एक लाख एकड़ भूमि सुधार का प्रस्ताव है।

कृषि उत्पाद संगठन

55. कृषि उत्पाद संगठनों की स्थापना और इसके तंत्र का विस्तार करना सरकार की एक और प्राथमिकता है। सरकार का मार्च, 2021 तक 500 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध 486 किसान उत्पादक संगठन बनाए जा चुके है और मार्च, 2022 तक 1,000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जांएगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

56. राज्य सरकार ने खरीफ, 2020 से एक संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अधिसूचित की है। राज्य के हर ब्लॉक में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 13.27 लाख किसानों ने 2980.74 करोड़ रुपये की बीमा क्लेम राशि का लाभ उठाया है, जबकि खरीफ, 2020 के दौरान 9,14,273 किसानों को कवर किया गया था।

फसल अवशेष प्रबंधन

57. सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। अलग–अलग किसानों को सब्सिडी पर 10,042 मशीनें प्रदान की गईं और 1345 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए। इन प्रयासों के फलस्वरूप, फसल अवशेष जलाने की घटनाएं 2019–20 में 6364 से कम होकर 2020–21 में 5678 रह गई। इसके अलावा, स्थल और अन्य स्थानों पर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इस वर्ष फसल अवशेषों के उपयोग के लिए प्रदेश में पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायो गैस तथा बायो मास प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन बायो गैस और बायो मास संयंत्रों आदि को धान के पुआल की आपूर्ति के लिए कैचमेंट एरिया उपलब्ध करवाने के लिए धान उत्पादक गांवों का मानचित्रण भी किया जा रहा है।

फसल विविधीकरण

58. फसल विविधीकरण और भूजल के किफायती प्रयोग के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' योजना शुरू की गई है। तदनुसार, 97,000 एकड़ क्षेत्र को धान से अन्य फसलों जैसेकि–मक्का, कपास, बाजरा, दालों, सब्जियों, चना और चारा आदि के अधीन लाया गया है। सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन के रूप

में या धान से अन्य वैकल्पिक फसलों के विविधीकरण के लिए 7000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान धान के अधीन का क्षेत्र 2 लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य है।

जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती

59. कृषि को लाभकारी बनाने और उपभोक्ताओं को ताजा और प्रदूषण मुक्त कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाने की पहल के रूप में हमारी सरकार जीरो बजट खेती, जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस पद्धति में 3 वर्षों में एक लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इन पद्धतियों में गोशालाओं को जोड़ा जाएगा, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके प्रोत्साहन के लिए उचित सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इन पद्धतियों से उत्पादित कृषि पैदावार की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए परीक्षण और प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

किसान मित्र योजना

60. हरियाणा सरकार किसान मित्र योजना नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है। यह योजना किसानों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को नकदी निकालने, नकदी जमा कराने, शेष राशि की जानकारी देने, पिन बदलने, नई पिन बनाने, मिनी स्टेटमेंट, चैक बुक के लिए अनुरोध, आधार नम्बर अपडेशन, ऋण के लिए अनुरोध, मोबाइल नम्बर अपडेशन, समस्याओं के पंजीकरण और फीड बैक इत्यादि जैसी विविध सेवाओं के माध्यम से सुविधाएं देना है। इस योजना में बैंकों की सांझेदारी में राज्य में 1000 किसान एटीएम स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

खरीद

61. हरियाणा रबी की फसलों–गेहूं, चना, सरसों और सूरजमुखी तथा खरीफ की फसलों–धान, बाजरा, मक्का, मूंग और मूंगफली पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है। हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्म के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद को सुचारू बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता आई है और किसानों तथा अन्य हितधारकों के साथ बेहतर अंतरफलक स्थापित हुआ है। कोविड–19 महामारी के बावजूद सरकार ने रबी 2020–21 में 74.01 लाख मीट्रिक टन गेहूं और

7.49 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की है। खरीफ 2020–21 के दौरान सरकार द्वारा 56.07 लाख मीट्रिक टन धान और 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई। इसके अतिरिक्त, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मक्का, चना और मूंगफली की फसलों की भी सरकारी खरीद की गई। वर्ष 2020–21 के खरीद कार्यों के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को 29,950 करोड़ रुपये तथा अन्य हितधारकों को लगभग 1800 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। सरकार की योजना रबी सीजन 2021 में लगभग 81.00 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 7.00 लाख मीट्रिक टन सरसों तथा वर्ष 2021–22 में लगभग 60.00 लाख मीट्रिक टन धान और 7.00 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद करने की है। सरकार मक्का, सूरजमुखी, मूंग, चना और मूंगफली की खरीद की अपनी नीति को जारी रखते हुए फसलों के विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना जारी रखेगी।

62. सरकार कृषि उत्पाद के लिए अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित कर रही है। हमने इस वर्ष 6.60 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। भण्डारण क्षमता के निर्माण के लिए साइलो का उपयोग किया जाएगा।

कृषि विपणन

63. एक अन्य पहल में राष्ट्र स्तरीय कृषि उत्पादों के विपणन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जिला सोनीपत के गन्नौर में 545 एकड़ भूमि पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मण्डी स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 2400 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें से 1600.00 करोड़ रुपये की राशि आरआईडीएफ/एनआईडीए के तहत नाबार्ड से जुटाई जाएगी और शेष 800.00 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वस्तु–विशिष्ट मण्डियां विकसित की जा रही हैं। पिंजौर में सेब मण्डी, गुरुग्राम में पुष्प मण्डी और जिला सोनीपत के सेरसा में मसाला मण्डी विकसित की जा रही है। सरकार राज्य से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात नीति तैयार कर रही है।

64. हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड राज्य में पैकेज्ड, वीटा और अन्य उपभोक्ता खाद्य वस्तुओं आदि के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 22 जिलों में 2000 रिटेल स्टोर/आउटलेट स्थापित करने का इच्छुक है।

65. हरियाणा, भारत के उन 18 राज्यों में से एक है, जिन्होंने 81 कृषि उपज विपणन समितियों में ई–नाम लागू किया है। शेष 32 मण्डियों को ई–नाम के साथ शीघ्र ही जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य की जानकारी सुलभ हो जाएगी। कृषि उपज के प्रबंधन में मार्केट यार्ड की दक्षता में सुधार और फसल के कटाई उपरान्त नुकसान को कम करने के लिए राज्य की सभी प्रमुख मण्डियों में फसल सुखाने की मशीन, साइलो, ग्रेडिंग, लोडिंग/अनलोडिंग, वजन व सिलाई, छंटाई, पैकेजिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। हरियाणा भण्डारण निगम के गोदामों को कवर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।

66. बोर्ड द्वारा किसानों और मजदूरों को 10 रुपये की सब्सिडी दर पर भोजन मुहैया करवाने के लिए राज्य की 25 मण्डियों में 'अटल किसान–मजदूर कैंटीन' स्थापित की गई हैं।

बागवानी

67. प्रदेश में 80.67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ बागवानी क्षेत्र बढ़कर 4.78 लाख हेक्टेयर हो गया है। राज्य में 20 बागवानी फसलों के लिए संरक्षित मूल्य प्रदान करने हेतु 'भावांतर भरपाई योजना' और किसानों को मौसम की मार से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' (एमबीबीवाई) लागू की गई है, जिसमें किसान को सिर्फ 2.5 प्रतिशत की घटी हुई प्रीमियम राशि देनी है। गुणवत्तापरक रोपण सामग्री के लिए किसानों को 1.28 करोड़ संकर वनस्पति पौधे दिए गए हैं।

68. आम, अमरूद और सिट्रस फलों के बागों पर सब्सिडी की सीमा 16000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये प्रति एकड़ की गई है। अमरूद के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।

पशुपालन एवं डेयरी

69. हरियाणा में दुधारू पशुधन संख्या देश की संख्या का 2.5 प्रतिशत है, परन्तु राज्य प्रति वर्ष 117.34 लाख टन दूध का योगदान देकर देश के कुल दुग्ध उत्पादन के 5.56 प्रतिशत की आपूर्ति करता है। इसी प्रकार, राज्य में दूध की उपलब्धता 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जोकि राष्ट्रीय औसत 394 ग्राम के मुकाबले काफी अधिक है और इसमें पंजाब के बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर है।

70. डेरी, पशुपालन और अन्य सम्बन्धित गतिविधियों में लगे पशुपालक किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति के लिए, राज्य के विभिन्न बैंकों द्वारा 8 लाख पशुपालक किसानों को 'पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड' प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

71. हरियाणा में 70 लाख पशुधन है। सरकार ने पशुधन के लिए 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना' का विस्तार करके पशुधन बीमा करने का निर्णय लिया है। पशुपालकों को इस योजना के लिए पात्र होने के लिए अनिवार्य रूप से अपने पशुओं के कान पर 12 अंकों की आईडी वाला टैग लगवाना होगा।

72. सरकार द्वारा राज्य में बेहतर पशुधन और पोल्ट्री रोग डायग्नोस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए हिसार, सोनीपत और पंचकूला में एवियन इन्फ्लूएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और आरटी–पीसीआर डायग्नोस्टिक्स के लिए तीन बायो सेफ्टी लेवल–2 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।

73. सरकार द्वारा सभी 1020 राजकीय पशु चिकित्सालयों का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित किया जाएगा और उन्हें सभी आवश्यक आधारभूत संरचना तथा ग्राम स्तर पर एफटीटीएच फाइबर नेट के साथ जोड़कर आईटी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा अस्पताल समय के बाद ऐसे गांवों और कस्बों में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जहां सरकारी पशु चिकित्सालय नहीं हैं। इस प्रयोजन के लिए, खण्ड स्तर पर 142 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन मुहैया करवाई जाएंगी।

74. सरकार बकरियों की नस्ल के आनुवांशिक उन्नयन और गरीब बकरी पालक, किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय व भैंसों की तर्ज पर बकरियों के लिए भी कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विस्तार करेगी। भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

75. हमारी संस्कृति में गायों के महत्व को देखते हुए, सरकार ने गऊ संवर्धन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 50 करोड़ रुपये आबंटित करता हूँ।

मत्स्य पालन

76. मत्स्य पालन को आय और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हरियाणा अंतर्देशीय जलीय कृषि के माध्यम से एक प्रमुख मत्स्य उत्पादक है। हरियाणा में औसत 9.6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर मत्स्य

उत्पादकता दर्ज की गई है, जोकि राष्ट्रीय स्तर पर 3.0 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर औसत मत्स्य उत्पादकता से अधिक है।

77. मत्स्यपालक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार द्वारा 2021–22 से 2024–25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 1090 हेक्टेयर लवणता प्रभावित क्षेत्र और 5000 हेक्टेयर ताजा पानी वाले अतिरिक्त क्षेत्र का विकास किया जाएगा। करनाल और चरखी दादरी में दो बड़े फिश फीड मिल प्लांट स्थापित किए गए हैं। झींगा कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए 2021–22 में भिवानी के गरवा गांव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

78. 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' के तहत, वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक 10 स्माल फिश फ़ीड मिल प्लांट यूनिट स्थापित की जाएंगी। भविष्य में लुप्तप्रायः होने की कगार पर पहुंची मछली प्रजातियों को संरक्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए पंचकूला के टिक्कर ताल में 40,000 मत्स्य बीज तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर के प्राकृतिक जल में 1.6 लाख मत्स्य बीज का स्टॉक किया गया है। सरकार ने मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि, नाबार्ड के तहत 68.95 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्ताव राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड, हैदराबाद और भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए हैं।

सहकारिता

79. दक्षिणी हरियाणा में एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कवर करेगा। इसकी पैकिंग क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। इसे 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा। जिला भिवानी के गांव शेरला में एक लघु दुग्ध संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है।

80. बजट अनुमान 2021–22 में 6,110 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इसमें से 2,998 करोड़ रुपये कृषि एवं किसान कल्याण, 489 करोड़ रुपये बागवानी, 1,225 करोड़ रुपये पशुपालन एवं डेरी, 125 करोड रुपये मत्स्य पालन और 1,274 करोड़ रुपये सहकारिता के लिए हैं। बजट अनुमान 2021–22 के लिए 6,110 करोड़ रुपये का परिव्यय संशोधित अनुमान 2021 के 5,052 करोड़ रुपये की तुलना में 20.9 प्रतिशत अधिक है।

III. द्विवार्षिक जल योजना (2021–2023)

सिंचाई एवं जल संसाधन

81. माननीय अध्यक्ष महोदय, जल वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य उपहार है। जल संरक्षण और इसके किफायती उपयोग हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पानी के संरक्षण, प्रबंधन, पुनः उपयोग, रिचार्ज और रिसाइक्लिंग पर बल देने के लिए मैं आगामी 2 वर्षों 2021–23 को 'जल द्विवार्षिक' के रूप में मनाने का प्रस्ताव करता हूँ। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में हमने कई संस्थागत और ढांचागत परिवर्तन किए हैं। इनमें लघु और दीर्घावधि परिप्रेक्ष्यों के साथ एक सतत जल संसाधन प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से 'हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन एवं प्रबंधन) प्राधिकरण की स्थापना और न्यायोचित, समान तथा दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु भूजल तथा सतही जल का आकलन करना प्रमुख हैं। हमने मौजूदा कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाया है और हरियाणा में कृषि उत्पादन व उत्पादकता तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए इसके नियमित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित और क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में इसका पुनः नामकरण किया है। इस दृष्टिकोण के साथ, सरकार ने वित्त वर्ष 2021–22 में चार जिलों नामतः महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद पर विशेष बल देने का निर्णय लिया है।

82. तालाबों के समूचे विकास कार्य के समन्वय और निगरानी हेतु 'हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण' को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा सीवरेज पाइप लाइन बिछाना, अपशिष्ट जल के तालाब में डालने हेतु पक्की ड्रेन, अपशिष्ट जल उपचार, तालाब की खुदाई, बांध का निर्माण, तालाब के चारों ओर जलीय पौधे/घास लगाना/ट्रैक बिछाना, तालाब में जलापूर्ति और ड्रेनेज, अतिरिक्त पानी से सूक्ष्म सिंचाई, मत्स्य पालन और तालाब के पानी की गुणवत्ता की जांच जैसे विकास कार्य करवाए जाएंगे।

83. इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने तथा मौजूदा 35 एसटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के उद्देश्य से, नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में खेतों में सूक्ष्म सिंचाई के साथ समुदाय आधारित सोलर/ग्रिड पावर्ड इंटीग्रेटेड माइक्रो इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भी एक परियोजना स्वीकृत

करवाई गई है। इस वर्णित परियोजना के क्रियान्वयन के बाद यमुना और घग्गर नदी में अपशिष्ट जल का प्रवाह रोका जाएगा और इस पानी को प्रयोग के लिए रिसाइकल किया जाएगा।

84. यमुना नदी में मानसून अवधि के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता बढ़ाने और सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने समानान्तर दिल्ली शाखा, संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, हांसी शाखा के पुनरोद्धार की परियोजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई हैं। इन परियोजनाओं का कार्य आगामी वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में शुरू होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, भालौट शाखा के पुनरोद्धार की एक परियोजना नाबार्ड को भेजी हुई है।

85. रिसाव और अन्य नुकसानों को नियंत्रित करके तथा नहरों की वहन क्षमता को बढ़ाकर राज्य में पुराने जीर्ण–शीर्ण सिंचाई नहरी तंत्र का पुनरोद्धार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लगभग 110 चैनलों का पुनरोद्धार कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, सरकार रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखीदादरी और भिवानी में उठान सिंचाई प्रणाली की क्षमता और दक्षता में सुधार पर विशेष बल देकर दक्षिणी हरियाणा के प्रत्येक टेल पर पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

86. हम यमुना नदी और इसकी सहायक नदियों, गिरि तथा टोंस से सुनिश्चित जलापूर्ति के लिए यमुना नदी पर अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों नामतः रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी के निर्माण की जोरदार तरीके से पैरवी कर रहे हैं।

87. इसके अतिरिक्त, पवित्र सरस्वती नदी के पुनरोद्धार के लिए, गैर–मानसून के दौरान 1680 हेक्टेयर मीटर की शुद्ध गतिशील भंडारण क्षमता के साथ आदिबद्री बांध, सोम सरस्वती बैराज और सोम सरस्वती जलाशय के निर्माण की एक परियोजना सरकार के विचाराधीन है।

88. पोंटा साहिब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र पर हथनीकुण्ड बैराज की अपस्ट्रीम में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है। यह बांध पहले ही प्रस्तावित तीन अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों, नामतः रेणुका बांध, किशाऊ बांध और लखवाड़–व्यासी बांधों से बचे लगभग 20.43 प्रतिशत कैचमेंट एरिया में उत्पन्न बाढ़ के पानी का भण्डारण करेगा। प्रस्तावित बांध इन अपस्ट्रीम स्टोरेज बांधों के लिए संतुलन जलाशय के रूप में काम करेगा। इसकी

प्राथमिक रिपोर्ट आने वाले वित्त वर्ष में तैयार की जाएगी ताकि इसके निर्माण के लिए सांझेदार राज्यों और केन्द्रीय जल आयोग से सैद्धांतिक अनुमति ली जा सके।

89. मेवात क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए, सरकार ने 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह नहर बादली के निकट गुरुग्राम जल आपूर्ति से पाइप्ड चैनल के रूप में निकाली जाएगी और केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ–साथ गुरुग्राम चैनल तक जाएगी।

90. इसके अतिरिक्त, खेतों में भरे बारिश के पानी से डार्क जोन में भूजल को रिचार्ज करने के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत' के तहत 1000 रिचार्ज बोरवैल के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से हर वर्ष जलभराव होने वाली लगभग 8000 एकड़ भूमि में सुधार होगा। इन रिचार्ज वैल का कार्य सितंबर, 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

91. राज्य सरकार रावी–ब्यास नदियों के पानी का प्रदेश का न्यायोचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और ठोस प्रयासों से एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं विशेष रूप से 2021–22 में इस उद्देश्य के लिए 100.00 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ और सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूँ कि जितने भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी, सरकार मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

92. माननीय अध्यक्ष महोदय, 'जल जीवन मिशन कार्यक्रम' के तहत, हालांकि भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है, परन्तु हमने इस कार्य को केवल वर्ष 2022 तक ही पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। हरियाणा में लगभग 31.05 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से जनवरी, 2021 तक 26.19 लाख (84.34 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021–22 के लिए 1.65 लाख घरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

93. ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत, गांवों में जलापूर्ति का स्तर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55–70 लीटर तक बढ़ाने के लिए मौजूदा जलापूर्ति सुविधाओं में सुधार तथा इन्हें मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए, नाबार्ड से भी

धनराशि ली जा रही है। वर्ष 2020–21 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 1003.50 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाएं प्रगति पर हैं तथा वर्ष 2020–21 में रेवाड़ी, नारनौल और जींद में 129.10 करोड़ रुपये लागत की 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

94. हमने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति 135 लीटर तक बढ़ाने, सीवरेज प्रणाली बिछाने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना के लिए महाग्राम योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत, अब तक 130 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें तीन चरणों में कार्य किया जाएगा। पहले चरण में 20 गांव, दूसरे चरण में 38 और तीसरे चरण में शेष 72 गांव शामिल होंगे।

95. हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध करवाने के लिए भी पूरी तरह से दृढ़–संकल्प है। राज्य के 87 कस्बों में पहले ही पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है और वर्ष 2020–21 में घरौंडा, निसिंग, तरावड़ी और समालखा की सभी नव विकसित कॉलोनियों में पेयजल की सुविधा मुहैया करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, लोहारू, हिसार, नरवाना, उचाना, लाडवा और पुन्हाना की नव विकसित कॉलोनियों में भी पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य शुरू किया गया है, जो 2021–22 में पूरा होने की संभावना है।

96. सरकार द्वारा 80 कस्बों के 124 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। कैथल, पुंडरी और असंध में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अपग्रेडेशन का कार्य पूरा हो चुका है तथा भूना, नांगल चौधरी, इस्माईलाबाद और सढ़ौरा में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना का कार्य मार्च, 2021 तक पूरा होने की संभावना है। इंद्री, पलवल, यमुनानगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना तथा ऐलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, सिरसा, रोहतक और तोशाम में इनके उन्नयन का कार्य चल रहा है, जो वर्ष 2021–22 में पूरा हो जाएगा। राजौंद व सिसाय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और सिवानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन की परियोजनाएं 2021–22 में शुरू की जाएंगी।

97. हमारी सरकार ने मुख्य रूप से बिजली संयंत्रों, उद्योगों, सिंचाई और नगरपालिकाओं द्वारा उपचारित अपशिष्ट जल का गैर–पेयजल प्रयोजनों हेतु उपयोग करने के लिए एक नीति बनाई है। वर्ष 2022 तक 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा में अब तक, 169 सीवेज ट्रीटमेंट और सामान्य अपशिष्ट

ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो 1278 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं।

98. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त–पोषित योजना के तहत, गन्नौर, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखौदा, होडल और समालखा में सीवरेज लाइनें बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है और सोहना में 2021–22 में काम पूरा हो जाएगा।

99. भिवानी, सिवानी, बेरी, झज्जर, पुंडरी, होडल और रेवाड़ी शहरों में वर्षा जल की निकासी के लिए कार्य पूरा हो चुका है तथा गन्नौर, अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, रोहतक और हिसार में 2021–22 में कार्य पूरा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 2021–22 में पलवल, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना और होडल में नए कार्य शुरू किए जाएंगे।

100. बजट अनुमान 2021–22 के लिए 8,483 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है जिसमें से 5,081 करोड़ रुपये सिंचाई और 3,402 करोड़ रुपये जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए हैं। बजट अनुमान 2020–21 में 8,483 करोड़ रुपये का परिव्यय संशोधित अनुमान 2020–21 के 6,183 करोड़ रुपये से 37.2 प्रतिशत से अधिक है।

IV स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती

101. हरियाणा सरकार ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।

102. महामारी का मुकाबला करते हुए हमने 956 नियमित डॉक्टरों और 206 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की। अब इस वित्तीय वर्ष के दौरान 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सों के नए पद सृजित किए जाएंगे ताकि राज्य को अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध करवाए जा सकें।

103. हरियाणा के सभी जिलों में आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन परीक्षण किटों के माध्यम से व्यापक नमूने लिए जा रहे हैं। अब तक 58 लाख से अधिक नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं। कोविड मरीजों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने के लिए, हमने पहल की और फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक और करनाल में प्लाज्मा बैंक स्थापित किए। इसमें अब तक कोविड–19 रोगियों से 4856 प्लाज्मा यूनिट एकत्रित की गई हैं और 3291 रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी से उपचार किया गया है।

104. इसके अतिरिक्त, राज्य की स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तरों की संख्या, जो गत पांच वर्षों में 3000 बैड तक बढ़ाई गई थी, अब हर सिविल अस्पताल में न्यूनतम 200 बैड अवश्य उपलब्ध कराये जाएंगे।

105. माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य चरक ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'चरकसंहिता' में कहा है कि 'बीमारी का उपचार खोजने की बजाय बीमारी को आने से रोकना अधिक महत्वपूर्ण है'। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आयुष विभाग के अंतर्गत पूरे राज्य में लोगों की भलाई के लिए 1000 'हेल्थ वेलनेस सेंटर' स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसमें निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और व्यापक स्तर की देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य के लोगों को वेलनेस सेंटर में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि योगशाला, ध्यान, शारीरिक व्यायाम के अलावा दवाओं और परीक्षण व जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

106. आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। हरियाणा में सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना–2011 के आधार पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में 15.51 लाख परिवार पात्र हैं। अब तक 7.83 लाख परिवारों को कुल 22.96 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत, 2.05 लाख मरीजों को 245.00 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

107. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आयुष्मान भारत योजना के लाभ आठ अतिरिक्त श्रेणियों को प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए धनराशि पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इन श्रेणियों में (i) व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी, (ii) मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकृत परिवार, (iii) निर्माण श्रमिक बोर्ड, (iv) हरियाणा के मान्यता–प्राप्त मीडियाकर्मी, (v) नम्बरदार, (vi) चौकीदार, (vii) विमुक्त घुमंतू जाति, और (viii) आजाद हिंद फौज में रहे सैनिक, हिंदी आंदोलन से जुड़े परिवार, द्वितीय विश्व युद्ध और आपातकाल के दौरान जेल गए परिवार शामिल हैं। हम इस योजना का लाभ 5 लाख रूपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को अनुपातिक आधार पर भी देंगे।

108. 'मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना' के तहत, लोगों को 7 तरह की सेवाएं, जैसेकि सर्जरी, प्रयोगशाला परीक्षण, डायग्नोस्टिक्स (एक्स–रे, ईसीजी, और

अल्ट्रासाउंड सेवाएं), ओपीडी/इनडोर सेवाएं, दवाएं, रेफरल परिवहन और दंत उपचार सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी जिलों में कैथ लैब, एमआरआई, सीटी स्कैन और डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी प्रकार, अल्ट्रासाउंड और अन्य डायग्नोस्टिक्स सेवाओं का विस्तार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक किया जाएगा। सरकार प्रत्येक जिला अस्पताल में आईसीयू व प्राइवेट रूम स्थापित करेगी। हम उपमण्डल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी आईसीयू और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं।

109. हमारी सरकार ने कर्मचारियों, पेशनरों और उनके आश्रितों को इनडोर उपचार प्रदान करने के लिए 'हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य' योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

110. राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्य में अक्तूबर, 2020 तक 95.1 प्रतिशत संस्थागत प्रसूतियां दर्ज हुई हैं। दिसंबर, 2020 में जन्म पर लिंगानुपात 922 था। मातृ मृत्यु दर एसआरएस 2011–13 में 127 के मुकाबले कम होकर एसआरएस–2016–18 में 91 रह गई। बाल स्वास्थ्य के तहत, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर एसआरएस 2013 में 41 के समक्ष एसआरएस 2018 में 11 अंक कम होकर 30 रह गई। जीवित जन्मों के समक्ष टीकाकरण कवरेज 101.1 प्रतिशत रहा और 3.09 लाख जीवित जन्मों के लक्ष्य के समक्ष कुल 3.35 लाख बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है।

111. हरियाणा में भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली–परामर्श सेवाओं के तहत ऑनलाइन स्टे–होम ओपीडी, ई–संजीवनी ओपीडी शुरू की गई है और मई, 2020 से लागू है।

112. राज्य सरकार करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में भिवानी के मौजूदा जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भिवानी में डॉ. मंगल सेन मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। जिला जींद और महेंद्रगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। फरीदाबाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा

है। सरकार द्वारा यमुनानगर, कैथल और सिरसा जिलों में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कैंसर विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

113. मेडिकल कॉलेजों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा मौजूदा शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़, नूंह में एक डेंटल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला जिलों में छः सरकारी नर्सिंग संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं।

114. आयुष विभाग द्वारा लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कुरुक्षेत्र में अपनी तरह के श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से, राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा शिक्षा सहित आयुष चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित कर रही है।

115. राज्य सरकार द्वारा पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी स्थापित किया जा रहा है। राज्य में योग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, प्रदेश–भर की विभिन्न योगशालाओं में शीघ्र ही अनुबंध के आधार पर 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोच की भर्ती की जाएगी।

116. ईएसआई हेल्थ केयर द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत प्रदेश–भर में स्थित 7 ईएसआई अस्पतालों और 79 ईएसआई औषधालयों सहित तीन आयुर्वेदिक इकाइयों और एक मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से 28.09 लाख बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रित सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

खेल

117. समाज में लोगों की तंदरुस्ती को लक्षित करते हुए सरकार के 'सभी के लिए खेल' विजन का मूल उद्देश्य खेल अवसंरचना विकसित करना, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना, छोटी उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें तराशना, खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और विभिन्न युवा विकास कार्यक्रमों को लागू करना है।

118. राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार के रूप में 5 लाख रूपये की अग्रिम राशि देने की घोषणा की है, ताकि वे बेहतर आहार, नवीनतम प्रशिक्षण सुविधाएं और खेल उपकरण हासिल कर

सकें। सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए आहार राशि 150 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन की गई है।

119. भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स –2021', की मेजबानी हरियाणा करेगा। यह हरियाणा के लिए सम्मान की बात है। इनमें पांच स्वदेशी खेलों सहित 25 खेल स्पर्धाएं होंगी और देशभर से 10,000 से अधिक खिलाड़ियों और अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है।

120. अम्बाला कैंट स्थित वार हीरोज मैमोरियल स्टेडियम में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल और फुटबॉल ग्राउंड निर्माणाधीन है। आगामी 'खेलों इण्डिया यूथ गेम्स–2021' के दृष्टिगत ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पंचकूला में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान बनाने का प्रस्ताव है।

121. प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूलों में कुल 297 खेल नर्सरियां चल रही हैं। वैज्ञानिक प्रशिक्षण, खेल के दौरान लगने वाली चोट के उपचार और शीघ्र स्वस्थ लाभ के उद्देश्य से, हरियाणा में चार पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक राज्य स्तरीय पुनर्वास केंद्र पंचकूला में स्थापित किया जाएगा, जबकि मंडल स्तर के चार केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और हिसार में प्रस्तावित हैं। ये केंद्र नवीनतम विश्व स्तरीय खेल–चिकित्सा उपकरणों से लैस होंगे और योग्य कर्मचारियों, मनोवैज्ञानिक और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा संचालित होंगे।

122. मैं बजट अनुमान 2021–22 में 7,731 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2020–21 के 6,433 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 20.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रस्तावित परिव्यय में 4,606 करोड़ रुपये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 2,136 करोड़ रुपये चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, 315 करोड़ रुपये आयुष, 238 करोड़ रुपये कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल, 42 करोड़ रुपये खाद्य एवं औषध प्रशासन और 394 करोड़ रुपये खेल के लिए हैं।

शिक्षा

123. कोविड–19 महामारी ने विशेष रूप से प्रदेशभर में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। इसके मद्देनजर, राष्ट्रीय

शिक्षा नीति (एनईपी) शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाकर बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की अनूठी क्षमताओं को पहचान कर और प्रोत्साहित करके न केवल महामारी से निपटने में राज्य की क्षमता को बढ़ाएगी बल्कि शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक क्षेत्रों में सीखने के लिए बेहतर वातावरण तैयार करके शिक्षा प्रणाली को भी मजबूती प्रदान करेगी। इसे अनुभव करते हुए, हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2025 से पहले एनईपी के अधिकांश घटकों को लागू करके राष्ट्र के शैक्षणिक मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाने का है :

1. हरियाणा सरकार ने सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के तहत तीसरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की वैचारिक समझ बढ़ाने के उद्देश्य से अनुकरणीय पहल की हैं। एनईपी के भाग के रूप में, हरियाणा पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल प्रदान करने के लिए मूलभूत साक्षरता और गणना मिशन स्थापित की दिशा में अपने प्रयासों का विस्तार करेगा जिससे 8,400 स्कूलों के 6 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे।

2. एनईपी के तहत, हरियाणा सरकार की योजना सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मिश्रित शिक्षण मॉडल के माध्यम से क्लासरूम अवसंरचना को उन्नत करने की है। सभी सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी, जिसमें डिजिटल टैबलेट, डिजिटल क्लासरूम आदि का प्रावधान शामिल होगा।

3. समावेशित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। गुणवत्तापरक शिक्षा और उनके लिए अवसर सुनिश्चित करने हेतु 192 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। इन समूहों से नामांकन में सुधार हेतु लक्षित समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र (एसईजेड) बनाकर वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन एसईजेड में छात्राओं को उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 114.52 करोड़ का एक जेंडर इंक्लूजन फंड (जीआईएफ) बनाया जाएगा। हम आरोही, कस्तूरबा गांधी और मेवात मॉडल स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल के स्तर पर अपग्रेड करके एकीकृत करेंगे।

4. सुपर 100 कार्यक्रम भारत के अति प्रतिष्ठित संस्थान के लिए सरकारी स्कूलों से प्रतिभा तराशने में सफल रहा है। इसलिए, इस कार्यक्रम का विस्तार दो और केंद्रों–हिसार और करनाल तक किया जाएगा। इस संबंध में 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

5. राज्य के स्कूलों में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 50 उष्मायन केन्द्र (दक्ष सेन्टर) बनाए गए हैं, जिसमें 9 मुख्य कौशलों को समाहित किया गया है। ये उष्मायन केंद्र 'एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट' पर ध्यान केंद्रित करके विद्यार्थियों को उद्यमी बनने में सहायता करेंगे। इसे और आगे ले जाते हुए, हरियाणा 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों तक व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने का कार्य करेगा और इस वर्ष इस सम्बन्ध में 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी।

124. मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि हमें एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जहां एक बच्चा नर्सरी से स्नातकोत्तर तक एक ही संस्थान में 'केजी से पीजी' तक शिक्षा प्राप्त कर सके।

125. ऐसी प्रणाली से विद्यार्थियों को एक ही संस्थान में सभी स्तरों की शिक्षा प्रदान करके विद्यार्थियों को व्यावसायिक और उच्चतर शिक्षा की बेहतर पहुंच का लाभ मिलेगा, स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी, समग्र शिक्षा के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध होगा और उच्चतर शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करके रोजगार लिंकेज की सुविधा प्रदान करने में सुविधा होगी।

126. मुझे लगता है कि हमारे विश्वविद्यालयों को इस पथ–प्रदर्शक पहल का नेतृत्व करना चाहिए और मैं इस वर्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ और इस उद्यम के लिए मैं 20 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

उच्चतर शिक्षा

127. वर्तमान में राज्य में 35 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, 10 राज्य विश्वविद्यालय, 24 निजी विश्वविद्यालय और 170 सरकारी कॉलेज शामिल हैं। राज्य सरकार ने विशेष रूप से लड़कियों के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में सरकारी कॉलेज खोलने की एक सक्रिय नीति अपनाई है। आवश्यकता युवाओं को गुणवत्ता आधारित प्रासंगिक उच्चतर शिक्षा प्रदान

करने और उनके प्लेसमेंट पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की है। साथ ही, हम विद्यार्थियों में स्टार्टअप को बल दे रहे हैं ताकि वे नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले और आत्मनिर्भर बन सकें।

128. हरियाणा में तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य कुशल मानव–शक्ति पैदा करना है, जो राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उद्योग और समाज के लिए प्रासंगिक हो। आईआईएम रोहतक, एनआईडी कुरुक्षेत्र, सोनीपत में आईआईटी दिल्ली का विस्तार परिसर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल और एसआईईटी झज्जर, रेवाड़ी, नीलोखेड़ी जैसी विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, पंचकूला, उमरी, धामलवास (रेवाड़ी), राजपुर (सढ़ौरा) में नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए गए हैं और वहां कोर्स शुरू हो चुके हैं। सरकार ने राजकीय बहु–तकनीकी संस्थान, मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।

129. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने पिछले बजट में विद्यार्थियों में विज्ञान संकाय को लोकप्रिय बनाने और विद्यार्थियों को पासपोर्ट जारी करने के सम्बन्ध में दो नई योजनाएं शुरू की थीं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 41 संस्थानों की 41 टीमों द्वारा 25497 विद्यार्थियों से संपर्क किया गया ताकि वे विज्ञान संकाय और ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों के भविष्य में बारे में जागरूक हो सकें। सरकारी/सहायता प्राप्त/सोसायटी पॉलिटेक्निक और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम वर्ष के लगभग 3100 विद्यार्थियों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है और लगभग 1500 विद्यार्थियों को उनके पासपोर्ट मिल गए हैं।

130. राज्य के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों से हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी पासआऊट होते हैं। वे देशभर में विभिन्न संगठनों और विभागों में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। उनके अनुभव से मौजूदा विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए हमारी सरकार ने उनके मातृ संस्थाओं में एल्युमिनी सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है।

131. उच्चतर शिक्षा संस्थान हर वर्ष एल्युमिनी उत्सव भी आयोजित करेंगे। वे इस कार्य के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे।

132. मैं बजट अनुमान 2021–22 में कुल 18,410 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2020–21 के 15,629 करोड़ रुपये से 17.8 प्रतिशत अधिक है। 18,410 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय में से 9,014 करोड़ रुपये प्राथमिक, 5,899 करोड़ रुपये माध्यमिक, 2,793 करोड़ रुपये उच्च्तर और 705 करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा के लिए हैं।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण

133. श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू), जोकि सरकार की विशिष्ट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है, देश में पहली तरह का पहला संस्थान है। इसमें 27 नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और 'नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क' (एनओसीएन) के माध्यम से ब्रिटेन के सरकारी अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के साथ एक समझौता किया है। सभी एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों के लिए एसवीएसयू को संबद्धता प्राधिकरण बनाने के विषय में संबद्धता अधिसूचना जारी की गई है। विश्वविद्यालय की योजना पी.एचडी. के लिए अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम संचालित करने की है। एसवीएसयू की योजना उद्योगों/संघों के साथ सांझेदारी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर पलवल के दुधौला में बनने वाले अपने परिसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की है। एसवीएसयू द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 से दुधौला परिसर में अपने अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी, प्रबंधन अध्ययन एवं कृषि कार्यक्रमों के तहत अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। एसवीएसयू की योजना 'विश्वकर्मा कौशल रथ' के नाम से एक मोबाइल आईटी लैब डिजाइन और विकसित करने की है, जो विद्यार्थियों/ जन–साधारण को कौशल प्रदान करने के लिए प्रदेश–भर में विभिन्न नामित स्थानों पर जाएगी। बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा नौवीं कक्षा से आगे के विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए सीबीएसई से संबद्ध एक 'फीडर स्कूल' शुरू किया जाएगा।

134. सरकार द्वारा 'शिल्पकार प्रशिक्षण योजना' के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान (31 दिसम्बर, 2020 तक) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित 470 कैम्पस प्लेसमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से 8012 प्रशिक्षुओं को रोजगार दिया गया।

सत्र 2021–22 के दौरान सिकरोना (फरीदाबाद), इन्द्री (करनाल) और जीवन नगर (सिरसा) में 3 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ किए जाएंगे। स्ट्राइव परियोजना के दूसरे चरण में 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया जाएगा।

135. नई 'दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली' के तहत 64 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 165 उद्योगों के बीच 244 व्यवसाय इकाइयों के लिए एमओयू किया गया है और 5148 सीटों पर प्रवेश की पेशकश की गई है। विश्व युवा कौशल दिवस पर 15 जुलाई, 2020 को 6 दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डी.एस.टी.) उद्योग भागीदारों को सत्र 2019–20 में नामांकित डी.एस.टी. प्रशिक्षुओं को शत–प्रतिशत प्लेसमेंट प्रदान करने के लिए 'सक्षम साथी' के रूप में सम्मानित किया गया।

136. हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा संकल्प परियोजना (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अभिग्रहण और ज्ञान जागरूकता) के तहत राज्य के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। मिशन के तहत हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

137. प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत, 1,08,679 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है और वर्ष 2016 में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ के बाद से कुल 12,924 सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है। वर्ष 2017–18 में राज्य की प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकतम प्रशिक्षुओं को लगाने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर रहा। सभी सरकारी विभागों और एसपीएसयू को उनकी कुल मानवशक्ति के 10 प्रतिशत तक प्रशिक्षुओं को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रोज़गार

138. सरकार का लक्ष्य 2021–22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियों से जोड़ना है। 'सक्षम युवा योजना' के तहत हरियाणा कौशल विकास मिशन प्लेसमेंट सेल के माध्यम से 14,710 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। युवाओं के लिए कैरियर जागरूकता पोर्टल उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां युवाओं को वर्तमान योग्यता और कौशल के आधार पर कैरियर के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी जाएगी। सक्षम युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु गहन सोच, कार्यस्थल की तत्परता, संचार और सीवी बनाने तथा साक्षात्कार की तैयारी में सहायता जैसे रोजगार कौशलों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अंतःक्षेप का

लाभ अगले एक वर्ष के अन्दर 1.5 लाख सक्षम युवाओं को दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई योजना–स्टॉप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान 1610 उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया।

श्रम

139. राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक शांति एवं सौहार्द बनाए रखने और श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

140. उद्योगपयिों की सुविधा और व्यापार सुधार कार्य योजना, 2020 के अनुपालन में, सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों के तहत लाईसेंसों के स्वतः नवीनकरण का प्रावधान किया है। इसके अलावा, सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 संशोधित किया है और बिजली से चलने वाले एवं 20 तक श्रमिकों वाले कारखानों के साथ–साथऐसे कारखाने जिनकी प्रक्रिया बिजली पर निर्भर नहीं हैं और जिनमें 40 तक श्रमिक हैं, को छूट दी गई है। कार्य करने के आवेरटाइम घण्टों में संशोधन करते हुए इसे 75 घण्टे के वर्तमान प्रावधान के बजाय 150 घंटे किया गया है।

141. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड और हरियाणा भवन एवं अन्य सन्नहित कामगर कल्याण बोर्ड के तहत सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। निर्माण श्रमिकों को आयुषमान भारत योजना के तहत कवर किया जा रहा है।

142. बजट अनुमान 2021–22 में 1,823 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है जिसमें से 868 करोड़ रुपये कौशल विकास, 884 करोड़ रुपये रोजगार और 71 करोड़ रुपये श्रम के लिए के लिए हैं। बजट अनुमान 2021–22 में 1,823 करोड़ रुपये का परिव्यय संशोधित अनुमान 2020–21 के 1,296 करोड़ रुपये पर 40.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

VII. प्रौद्योगिकी एवं शासन

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

143. कोविड–19 के दौरान सरकार ने ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों का लगातार आंतरिक विकास और सुधार करके ई–गवर्नेंस के प्रति अपने दृष्टिकोण को उन्मुख करने की दिशा में नई ऊचाइयों को छुआ है। इसने नए आईटी अनुप्रयोगों को शुरू करने के समय और लागत को कम किया जिससे निरंतर उन्नयन और आंतरिक क्षमताओं को बढ़ावा मिला।

144. गत वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ई–खरीद शुरू की। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के लिए वन–टाइम पंजीकरण पोर्टल, उच्चतर शिक्षा में दाखिलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं प्रवेश पोर्टल, वेब–हैलरिस के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सरकार ने आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सरकारी सेवाओं, योजनाओं और लाभों के लिए वन–हरियाणा मोबाइल सोल्यूशन के रूप में ''जन सहायक ऐप'' की शुरुआत की है।

145. इस दिशा में राज्य सरकार ने एक समर्पित 'उद्यमी और स्टार्टअप नीति' बनाई है जो बेहतर अवसंरचना और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने पर समान बल देते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती है।

146. परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)ने हमें योजनाओं के नियोजन एवं डिजाइन के लिए बहुमूल्य डेटा उपलब्ध करवाया है। राज्य में 2.10 करोड़ से अधिक लोगों के उपलब्ध आंकड़ों का मूल्यांकन दर्शाता है कि 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 8.36 लाख व्यक्तियों ने खुद को बेरोजगार घोषित किया है। सरकार का प्रस्ताव है कि सत्यापन के उपरांत, आर्थिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति वाले परिवारों में से 20 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में एक लाख बेरोजगार युवाओं का चयन किया जाएगा और उन्हें लाभप्रद रोजगार के लिए कुशल बनाने हेतु कौशल विकास पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की जाएगी। राज्य में पिछले कुछ वर्षों से सफलतापूर्वक चलायी जा रही सक्षम युवा योजना को संशोधित किया जाएगा और विशेष रूप से इन बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास और प्लेसमेंट की दिशा में काम किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा। हरियाणा कौशल विकास मिशन को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से इन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में और विकसित किया जाएगा।

147. सरकार नेटवर्क सुरक्षा और डेटा संरक्षण सहित साइबर सुरक्षा पर अधिक बल देते हुए सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए तहसीलों, उप–तहसीलों एवं खंडों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

148. राज्य सरकार बड़े डेटा सेंटर उद्योग के निर्माण एवं विकास पर बल देने के लिए पहली बार डेटा सेंटर नीति तैयार कर रही है। इस नीति का उद्देश्य डाटा सेंटर इको सिस्टम स्थापित करने के लिए भूमि एवं अवसंरचना, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, पानी एवं कनेक्टिविटी पर विनियमन एवं वित्तीय लाभ प्रदान करना है।

149. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन समिति, राष्ट्रीय ई–विधान अनुप्रयोग(नेवा) के प्रयासों से विधान सभा को पेपरलेस बनाया जा रहा है।

150. सभी सरकारी विभागों में ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के इन–हाउस विकास को सक्षम बनाने के लिए आईटी में मानव संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों सहित सभी सरकारी विभागों में पूर्ण रूप से ई–ऑफिस का कार्यान्वयन किया जाएगा।

नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी)/ परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)

151. सरकार ने एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी–आधारित शासन कार्यक्रम, परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की है। परिवार पहचान पत्र नागरिकों को सेवाओं और लाभों के पेपरलेस और फेसलेस वितरण को सक्षम बनाएगा क्योंकि किसी भी दस्तावेज और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार हरियाणा के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

152. सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण अधिसूचित किया है जो राज्य में परिवारों के लिए परिवार पहचान संख्या या परिवार पहचान पत्र बनाने और जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियां विकसित करेगा।

153. सामाजिक–आर्थिक डेटा के संबंध में राज्य के किसी भी विभाग या संगठन को प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करेगा, संसाधन सूचना डेटाबेस के संबंध में डेटा सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक के लिए नीति तैयार करेगा और इस तरह के संसाधन सूचना डेटा की सुरक्षा के लिए ऐसे मानकों का विकास और रखरखाव करेगा।

154. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य में परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम के दीर्घावधि कार्यान्वयन के लिए इस सदन के समक्ष एक व्यापक विधान लाएगी।

155. मैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा नागरिक संसाधन सूचना विभाग के लिए बजट अनुमान 2021–22 में 139 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो 2020–21 के दौरान 108 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 28.7 प्रतिशत अधिक है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 103 करोड़ रुपये और नागरिक संसाधन सूचना विभाग के लिए 36 करोड़ रुपये हैं।

VIII. राजस्व, संसाधन जुटाना और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

राजस्व

156. रबी, 2020 के दौरान ओलावृष्टि के कारण जिला भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और चरखी दादरी में जिन किसानों की फसल खराब हो गई थी, उन्हें मुआवजा देने के लिए 115.18 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

157. आम जनता की सुविधा के लिए, हरियाणा सरकार ने 13 जुलाई, 2020 से बैंकों में ऋणदाताओं द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के ऋण समझौतों के लिए स्टांप शुल्क को 2,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया है।

158. राज्य की सभी राजस्व सम्पदाओं की जमाबंदी वेब हैलरिस पोर्टल पर की जा रही है। ई–गिरदावरी का कार्य ई–टैबलेट के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके कारण अब फसली क्षेत्र का सटीक डेटा उपलब्ध है। ई–पंजीकरण के तहत अपॉइंटमेंट (नियुक्ति) प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है और पंजीकरण के लिए अपॉइंटमेंट या तत्काल अपॉइंटमेंट के प्रावधान किए गए हैं। जनता पंजीकरण के लिए राजस्व वेबसाइट http:/Jamabandi:nic.in से टेम्पलेट डाउनलोड कर सकती है और इस साइट पर सभी भूमि/संपत्तियों के लिए कलेक्टर दरें उपलब्ध हैं और ई–स्टांपिंग प्रावधान के तहत टिकटें ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जाती हैं।

159. हरियाणा की व्यापक मानचित्रण परियोजना की पहल को भारत सरकार ने अपनाया है और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को ''स्वामित्व'' नाम से एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की गई। 25 दिसंबर, 2020 को 22 जिलों के 302 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया गया, जिसमें

40250 स्वामित्व के पंजीकृत दस्तावेज उनके मालिकों को दिए गए। अब इन दस्तावेजों के साथ ये संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति के विरूद्ध ऋण लेने में सक्षम होंगे।

160. जीएसटी के कार्यान्वयन ने देश में अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में क्रांति ला दी है, जिसने विनिर्माताओं, व्यवसायों और ग्राहकों के लिए जीएसटी की घटनाओं और प्रभावों को निर्धारित करना आसान बना दिया है और जिसके फलस्वरूप व्यापार और कराधान प्रक्रियाएं और अधिक पारदर्शी बन गई हैं।

161. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य ने वर्ष 2020–21 के दौरान फरवरी, 2021 तक 26038 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया जबकि गत वर्ष अप्रैल से फरवरी, 2020 तक की इसी अवधि के दौरान 23381 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र हुआ था जो चालू वित्त वर्ष में 11.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और यह कोविड–19 महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी के बावजूद एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.4 प्रतिशत से भी कम है लेकिन इसके बावजूद राज्य देश के कुल जीएसटी संग्रहण में लगभग 4.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।

बरसत हरषत सब लखें, करसत लखे न कोय।
तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होय।

अर्थात्

श्रीरामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब श्रीराम जी ने भरत से पूछा कि कर की व्यवस्था कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जैसे सूरज जल लेता है।

राजा को भानु जैसा यानीकि सूर्य जैसा होना चाहिए। जब बरसे अर्थात जनकल्याण करे तो सब हर्ष से देखें। लेकिन जब कर ले किसी को पता न चले, महसूस न हो।

162. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जन कल्याण के लिए धन की कोई कमी न हो, हमारी सरकार ने राज्य संसाधनों का लाभ उठाने का फैसला किया है। हम दो अवधारणाएं शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं – रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्विट)। सेबी आरईआईटी विनियम, 2014 के तहत आरईआईटी के रूप में इसकी किराए पर दी जाने वाली चिह्नित परिसंपत्तियों और हस्तांतरणीय विकास

अधिकारों (टीडीआर) के साथ पूल करने के लिए एक स्पेशल परपस व्हीकल बनाया जाएगा।

163. यह जनता पर बोझ डाले बिना अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सरकार की मदद करेगा। आरईआईटी के लिए परिसंपत्तियों की एक सांकेतिक सूची तैयार की जाएगी जिसमें नगर पालिकाओं की संपत्तियां उनके अनुरोध पर, बस–अड्डे और गेस्ट हाउस एवं हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियां शामिल होंगी। जुटाए गए संसाधनों कोयोजना के प्रबंधन के लिए न्यूनतम कटौती के बाद संबंधित संस्थाओं को सौंप दिया जाएगा। 2021–22 के दौरान आरईआईटी से 500 करोड़ रुपये जुटाए जाने की संभावना है।

164. इसी प्रकार, एक अन्य एसपीवी – इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्विट)– का चयन चयनित अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

165. कई विभागों के द्वारा संग्रहण किये जाने वाला कर, प्रयोक्ता शुल्क और अन्य देय राशि करदाताओं एवं विभाग के मध्य मतभेद होने के कारण संग्रहित नहीं की जा पा रही है। सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए ऐसे सभी विवादों के समाधान के संबंध में एक योजना तैयार की जाएगी, जिससे विवादों का समयबद्ध समाधान होकर सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी।

166. मैं बजट अनुमान 2021–22 में 1587.65 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। जिसमें से राजस्व विभाग के लिए 1302.65 करोड़ रुपये और आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए 285 करोड़ रुपये हैं।

ईज ऑफ लिविंग

167. अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वर्ष 2014 में जब हम पहली बार सत्ता में आए थे, तब से हम हरियाणवी लोगों के जीवन को सुगम बनाने पर बल दे रहे हैं। आवास, परिवहन, पर्यावरण से लेकर वित्तीय समावेशन तक, राज्य के लोगों के जीवन को सुगम और स्वस्थ बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए गए हैं।

आवास

168. दिसंबर, 2020 में स्थापित सभी के लिए आवास विभाग की वर्ष 2021–22 में किफायती आवास श्रेणी के तहत हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर

लगभग 20,000 मकान बनाने की योजना है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग भी होगा।

परिवहन

169. हमारी परिवहन प्रणाली देश की श्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है। यह प्रणाली हमारे लोगों को सुरक्षित, किफायती, कुशल और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 2021–22 में BS-VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाली 800 मानक गैर–एसी बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान में, सरकार 54 वोल्वो, मर्सिडीज सुपर लक्जरी एसी बसों और 18 सुपर लक्जरी एसी मल्टी–एक्सल बसों का संचालन कर रही है। इसके अलावा, किलोमीटर स्कीम के तहत किराए पर ली गई 536 बसों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। इससे राज्य परिवहन के बेड़े में कुल बसों की संख्या 5,000 से अधिक हो जाएगी। हमने मैन्युअल टिकट प्रणाली को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से 'ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम' को स्वनिर्माण, संचालन एवं स्थानांतरण मॉडल पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके जून, 2021 के अंत तक पूरी तरह से लागू होने की संभावना है।

170. गिरते जलवायु स्तर को रोकने की हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए हमारी सरकार का पर्यावरण को प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का इरादा है। हमारी सकल लागत मॉडल पर राज्य में 124 पूर्णतया इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है।

171. भारी मोटर वाहन चलाने के लिए आवेदकों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए, कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक में तीन ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान संचालित किए गए हैं। फरीदाबाद, नूंह, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, सोनीपत, जींद, पलवल और यमुनानगर में नौ और ऐसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, गुरुग्राम में एक क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

172. रोहतक जिले के कन्हेली गांव में एक निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र कार्यरत है। यह केंद्र जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और झज्जर जिलों के परिवहन वाहनों की फिटनेस आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इस तरह के 6 और केंद्र अंबाला, करनाल, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

वन

173. पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और उन्हें लुप्तप्राय औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण में शामिल करने के लिए प्रदेश में 59 हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं। पतंजलि योग पीठ के तकनीकी सहयोग से मोरनी की पहाड़ियों में विश्व हर्बल वन विकसित किया जा रहा है, जो निकट भविष्य में औषधीय पौधों का एक बड़ा कोष बन जाएगा। तीन नए हर्बल पार्क मसूदपुर, खेड़ी लोहचब और धर्म खेड़ी में बनाए जा रहे हैं।

174. माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में मिट्टी और नमी संरक्षण पर भी बल दिया गया है। यह भूजल के पुनर्भरण में मदद करता है और पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाता है। शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में नई जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन सूक्ष्म बांधों से आसपास के क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी भूमि की उत्पादकता बढ़ने के साथ–साथ सतही के प्रवाह और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाया जाएगा। सरकार ने बच्चों को पेड़ लगाने, बचाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करके 'पौधागिरी' अभियान को बढ़ावा दिया है। इस वर्ष लगभग आठ वन बाग विकसित किए गए हैं, जो आगामी वर्षों में पंचायतों की आय सुनिश्चित करेंगे। पानीपत के गांव ग्वालड़ा ने पौधरोपण के लिए 500 एकड़ पंचायती जमीन उपलब्ध करवाई है। भारतीय तेल निगम लि0, पानीपत रिफाइनरी ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कोष से पौधरोपण की लागत वहन की है। सरल और एचईपीसी सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर गैर वन भूमियों के लिए एनओसी व पेड़ काटने के परमिट जारी करने हेतु दो ई–सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC), हिसार की सहायता से अधिकांश बड़े और सघन वन क्षेत्रों की सीमाओं तथा सड़कों, नहरों, नालियों और रेलवे लाइनों के साथ लगते वन पट्टियों का डिजिटलीकरण किया गया है।

175. मैं बजट अनुमान 2021–22 में 2,865 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ, जिसमें से 2408 करोड़ रुपये परिवहन, 14 करोड़ रुपये पर्यावरण और 443 करोड़ रुपये वन विभाग के लिए हैं। यह आवंटन संशोधित अनुमान 2020–21 के 2,127 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 34.7 प्रतिशत अधिक है।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

176. सरकार का दृढ़ विश्वास है कि केवल ग्रास रूट पर शासन ही लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसका अर्थ है शासन प्रणाली के शीर्ष से आवश्यक निर्णय करने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण स्थानीय शहरी निकायों के साथ–साथ पंचायती राज संस्थाओं तक किया जाए। हम उन्हें वित्तीय रूप से व्यवहार्य और स्वतंत्र इकाइयां बनाने के लिए प्रतिब़द्ध हैं। हमारी यह अवधारणा दो स्तम्भों पर आधारित है। प्रथम, लोकतांत्रिक वृत्ति सहज प्रवृत्ति जो मैंने विगत वर्ष में ग्रहण की, उसमें सत्ता की लालसा का कोई स्थान नहीं है। इस संदेश को नीचे तक पहुंचाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। दूसरा, विकेंद्रीकरण का लाभ लोगों तक पहुंचे। इससे लोगों में न केवल विश्वास और आत्म–निर्भरता बढ़ाने में सहायता मिलेगी बल्कि इससे लोगों को पेश आ रही समस्याओं का नवाचारी समाधान निकलेगा।

177. मुझे यह बात सांझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को और सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। नगर निगमों के महापौर और नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का सीधा चुनाव करवाने का एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाया गया।

178. दूसरे, शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पालिका क्षेत्र में अचल संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2 प्रतिशत (स्टाम्प शुल्क की सामान्य दर) समान अनुपात में संबद्ध पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के खातों में सीधा जमा करवाया जाएगा। इससे स्थानीय निकायों को निरंतर धन की प्राप्ति होती रहेगी।

179. लॉक्ड परिसंपत्तियों के नकदीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मैं पहले से पट्टे पर दी गई दुकानों और दूसरी परिसंपत्तियां, जो 20 वर्ष या इससे अधिक समय से पट्टेदार के स्वामित्व में है, की बिक्री के लिए एक नीति प्रस्तावित करता हूँ। इससे हमारी शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और इसके साथ ही हजारों ऐसे छोटे दुकानदारों और दूसरे पट्टेदारों को स्वामित्व मिलेगा।

180. बेहतर कार्यप्रणाली और तीव्र निर्णय सुनिश्चित करने के लिए आईएएस/एचसीएस काडर के पालिका आयुक्त के पद सृजित किए गए हैं। शीघ्र

क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए छोटे स्तर की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

181. माननीय अध्यक्ष महोदय! हमारी सरकार नगर निगमों के साथ–साथ नगर परिषदों/समितियों के स्तर पर पालिकाओं के प्रदर्शन सूचकांक की नीति के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि इन निकायों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक माहौल सृजित हो। राज्य सरकार पालिका प्रदर्शन सूचकांक में निर्धारित प्रदर्शन स्तर को प्राप्त करने वाली नगर पालिकाओं को प्रोत्साहन करेगी। इसी प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण और कार्यों व निधियों का अन्तरण करके उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रहे हैं।

पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास

182. पंचायती राज संस्थाओं के सही सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं, जिनमें जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण, स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण इत्यादि शामिल है, के कार्यकर्ताओं के साथ जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई हैं। हम विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न विभागों की अधिक योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

183. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक अनूठी तकनीकी आधारित पहल– ग्राम दर्शन की गई है। यह किसी ग्राम पंचायत के किसी भी नागरिक को उसकी विकास कार्यों की मांग प्रस्तुत करने की सुविधा देता है। जन प्रतिनिधि द्वारा विकास कार्यों का अनुमोदन किये जाने पर संबंधित पंचायतीराज संस्था या सरकार एजेंसी धनराशि उपलब्ध होने पर इन कार्यों को करेगी। यह अनूठी पहल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में लोगों की सीधी भागीदारी करेगी और विकास कार्यों में निर्णय करने की शक्ति का विकेन्द्रीकरण करेगी।

184. हमारी सरकार ने पीआरआई को विभिन्न वित्तीय शक्तियां प्रदान कर के उनके राजस्व के स्व–संसाधनों को बढ़ाया है। 24 फरवरी, 2021 से ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर स्टाम्प शुल्क का अधिभार भी

लगाया गया है। एकत्रित राजस्व का एक प्रतिशत जिला परिषद और पंचायत समिति को दिया जाएगा तथा शेष एक प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। विकास कार्यों के लिए केवल इससे जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को लगभग 400 करोड़ रुपये वार्षिक मिलेंगे। इसी प्रकार, 28 फरवरी, 2021 से बिजली की खपत पर दो प्रतिशत पंचायत कर लगाया गया है और इससे ग्राम पंचायतों को लगभग 100 करोड़ रुपये वार्षिक मिलेंगे।

185. प्रशासकीय पक्ष के बारे में मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अध्यक्ष, जिला परिषद को डीआरडीए का चेयरमेन बनाया है। इसके अलावा, सुचारू संचालन के लिए एचसीएस कैडर के एक स्वतंत्र अधिकारी को जिला परिषद का सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रशासकीय तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चेयरमेन–डीआरडीए–सह–अध्यक्ष जिला परिषद को सीईओ जिला परिषद की एसीआर लिखने की शक्तियां दी गई हैं।

186. एक अन्य महत्वपूर्ण कदम यह है कि पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग को जिला परिषद के दायरे में लाया गया है ताकि विकास कार्यों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। इसके अलावा, बस क्यू शेल्टर एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण, उप–स्वास्थ्य केंद्रों का रखरखाव और प्राथमिक विद्यालयों की निगरानी करने जैसे अन्य विभागों के कुछ कार्यों को धनराशि सहित जिला परिषदों को सौंपा गया है। इसके अलावा, पीआरआई की कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए 5 लाख रुपये से अधिक की अनुमानित लागत के सभी विकास कार्य केवल ई–टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किये जाएंगे और ग्रामीण कार्य निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी।

187. महोदय, मेरा मानना है कि यद्यपि संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन वर्ष 1992 में किया गया था, लेकिन उन्हें आने वाली सरकारों द्वारा सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। बहरहाल, मेरी सरकार लोकतंत्र के तीसरे स्तर की जीवंतता को अक्षरशः सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

188. राज्य में शिक्षित पंचायती राज संस्थाओं के बाद, हम पंचायती राज संस्थाओं को निधियां, कार्य एवं पदाधिकारी हस्तांतरित करके इनका सशक्तिकरण करने के लिए प्रयासरत हैं। सरकार ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हम पीआरआई के सशक्तिकरण, स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्तर को बनाए रखने, ठोस कचरा

प्रबंधन, ग्रामीण जीवन के मूल्य संवर्धन, ग्रामीण स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण अवसंरचना को सुधारने और शहरी स्थानीय निकायों को और अधिक जीवंत बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं ताकि केवल समग्र विकास ही गारंटी न हो बल्कि उसे बनाए भी रखा जा सके।

189. माननीय अध्यक्ष महोदय! हम पंचायती राज संस्थाओं को 10:15:75 के अनुपात में निधियां, कार्य एवं पदाधिकारी हस्तांतरित करके इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यह कदम उनके लिए संसाधनों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करेगा। हम पंचायती राज संस्थाओं को बिजली बिलों पर 2 प्रतिशत उपकर लगाने जैसी कराधान की विभिन्न शक्तियां देकर उन्हें राजस्व के अपने स्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रहे हैं। सभी पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में आधी महिलाएं होंगी।

190. ग्रामीण क्षेत्रों में 'लाल डोरा' के भीतर रहने वाले निवासियों को टाइटल डीड प्रदान करने की एक योजना राज्य में सफलतापूर्वक शुरू की गई है। इस योजना के तहत लगभग 400 गाँवों को पहले ही कवर किया जा चुका है।

191. स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य को जून, 2017 में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया था। अब इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ की स्थिति और ठोस/तरल कचरा प्रबंधन की स्थिरता निरन्तर कायम रखने पर बल दिया जाएगा। 663.20 करोड़ रुपये की लागत से ठोस कचरा प्रबंधन की कुल 1542 और तरल कचरा प्रबंधन की 1807 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से ठोस कचरा प्रबंधन की 798 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसी प्रकार, तरल कचरा प्रबंधन की 552 परियोजनाएं भी पूरी हो चुकी हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ओडीएफ प्लस गांवों की अधिकतम संख्या के साथ हरियाणा ने "गंदगी मुक्त भारत" अभियान में देश में पहला स्थान हासिल किया है।

शहरी स्थानीय निकाय

192. माननीय अध्यक्ष महोदय! राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा के चार शहरी स्थानीय निकाय नामतः करनाल, रोहतक, पंचकूला और गुरुग्राम एक लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश के शीर्ष 100 शहरी स्थानीय निकायों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय

निकाय हैं। नगर परिषद, चरखी दादरी को 50 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेज गति से अग्रगामी शहर के लिए प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है।

193. माननीय अध्यक्ष महोदय! राज्य सरकार ठोस कचरे के शत–प्रतिशत संग्रहण, कचरे को स्रोत पर ही अलग करने, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 6.77 मेगावाट की क्षमता के कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र का एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सोनीपत–पानीपत क्लस्टर में निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके अप्रैल, 2021 तक चालू होने की संभावना है।

194. राज्य सरकार ने 23 स्थानों पर बड़े पैमाने पर नगरपालिका कचरे के विशाल डंपिंग के कारण बेकार पड़ी बहुमूल्य भूमि के पुनः सुधार के लिए कदम उठाए हैं। उम्मीद है कि वर्ष 2022 तक कचरे की बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया से सभी डंपिंग स्थलों का सुधार किया जाएगा। इससे भूजल प्रदूषण और वायु में हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को रोकने से पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न आईटी पहलों के तहत, सभी शहरी स्थानीय निकायों में जन्म एवं मृत्यु, विवाह, भवन योजना स्वीकृति, कब्जा प्रमाण पत्र, अग्निशमन सेवाएं, पानी एवं सीवर बिलिंग, व्यवसाय लाइसेंस आदि जैसी 135 सेवाएं सरल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे नागरिक अपने घरद्वार पर ही समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। शहरी स्थानीय निकायों में प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए विभाग अनुमानों, अनुमोदनों एवं निधि–आवंटनों, बिलिंग एवं भुगतान आदि के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और ऑनलाइन पेपरलेस कार्य प्रबंधन प्रणाली लागू कर रहा है जिससे त्वरित अनुमोदन, कुशल निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा,संपत्ति कर वसूली को सुचारू बनाने के लिए राज्य में केंद्रीकृत जीआईएस आधारित संपत्ति कर सर्वेक्षण शुरू किया गया है जिसके तहत सटीक आयामों के लिए हाई रिज़ॉल्यूशन इमेज के साथ प्रत्येक संपत्ति को यूनीक संपत्ति आईडी (डिजिटल डोर नंबर) प्रदान की जाएगी। इससे नागरिक अपनी संपत्तियों का स्व–मूल्यांकन कर सकेंगे। यह प्रणाली स्थानीय निकायों के राजस्व में निरन्तर वृद्धि को भी सक्षम बनाएगी। सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्तियों का सर्वेक्षण शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। अब तक 37.25 लाख संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

195. माननीय अध्यक्ष महोदय! राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन उभरते बाजार अवसरों तक पहुंच के लिए शहरी फड़ी विक्रेताओं को उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा एवं कौशल की सुविधा प्रदान करके आजीविका के मुद्दों पर ध्यान देगा। 84 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी फड़ी विक्रेताओं की पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें 1.02 लाख शहरी फड़ी विक्रेताओं की पहचान की गई है। 78 शहरी स्थानीय निकायों ने विक्रय के 44,828 प्रोविजनल सर्टिफिकेट (पीसीओवी) जारी किए हैं। पीसीओवी के अलावा, 24 शहरी स्थानीय निकायों ने फड़ी विक्रेताओं को 7,958 स्मार्ट आईडी कार्ड जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, 81 शहरी स्थानीय निकायों की टाउन वेंडिंग कमेटियों ने अपनी फड़ी विक्रय योजनाओं को मंजूरी दी है। मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना भी है। शहरी बेघर परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें राज्य में 19,015 शहरी बेघर लोगों एवं 11,543 शहरी बेघर परिवारों की पहचान की गई है। वर्तमान में, विभिन्न शहरों में 142 स्थायी/अस्थायी रात्रि/पोर्टा केबिन शेल्टर संचालित हैं। उक्त के अलावा, 26 प्री–फैब्रिकेटेड शेल्टर्स का निर्माण किया गया है, जिन्हें चालू कर दिया गया है।

भविष्य के स्मार्ट शहरों की योजना

196. हमारी सरकार शहरों का सतत रूप से विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानेसर के निकट एक ग्लोबल सिटी विकसित कर रहे हैं जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सैंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगी। पंचकूला और हिसार को स्मार्ट एवं सहनशील शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है, उसका विकास करने के लिए दिव्य कुरुक्षेत्र नामक महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई गई है।

197. मैं बजट अनुमान 2021–22 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए 3970 करोड़ रुपये आवंटन करता हूँ, जिसमें 1500 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग के लिए हैं। इसके साथ–साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 5980 करोड़ रुपये आवंटित करता हूँ, जिसमें 1755 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग से तथा 4225 करोड़ रुपये राज्य बजट से प्रस्तावित करता हूँ।

XI. अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)

198. सरकार सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से सड़कों के समान विकास पर लगातार कार्य कर रही है। हमारी सरकार वर्ष 2022–23 तक, जहां भी संभव होगा, 6 करम या उससे अधिक के सभी कच्चे रास्तों पर पक्की सड़कों के निर्माण का कार्य करेगी। इस वित्त वर्ष के दौरान हमने 650 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण और लगभग 5000 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सुधार का प्रस्ताव किया है। यातायात दबाव को कम करने और सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए हमारी सरकार ने 1007.19 करोड़ रुपये की लागत से 11 बाईपास के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी है। टोहाना बाईपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग इस वित्त वर्ष के दौरान उचाना और बहादुरगढ़ बाईपास के निर्माण का कार्य करेगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण–III के तहत, हरियाणा राज्य को 2500 किलोमीटर सड़कों के चौड़ाकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य आवंटित किया है। इनमें से 688 किलोमीटर लम्बी सड़कों को वर्ष 2020–21में और 1213 किलोमीटर लम्बी सड़कों कोवर्ष 2021–22 में चौड़ा एवं सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। नाबार्ड की वित्तपोषित योजनाओं के तहत 416 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और 357 किलोमीटर लम्बी सड़कों का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021–22 में नाबार्ड की सहायता से विभाग द्वारा 323 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2020–21 में, 253 करोड़ रुपये की लागत से 317 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया और 1009.15 करोड़ रुपये की लागत से 1545 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाकरण आदि करके सुधार किया गया है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों पर सभी लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक, 111 रोड़ ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज (आरओबी/आरयूबी) का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2021–22 में 20 आरओबी/आरयूबी के निर्माण का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

199. अंबाला एवं भिवानी शहरों के लिए रिंग रोड़ और हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र एवं जींद शहरों के बाईपास के प्रस्ताव भारत सरकार को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाला एक नया

एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है, जो पानीपत– सफीदों– नगूरां– उचाना–प्रभुवाला–भूना–रतिया –सरदूलगढ़–कालांवाली–मंडी डबवाली को जोड़ेगा। दो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे– दिल्ली–वडोदरा एक्सप्रेसवे (हरियाणा राज्य में सोहना से राजस्थान सीमा तक) और इस्माईलाबाद–नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2020–21 में पंचकूला–यमुनानगर, अंबाला–कैथल, पंजाब बॉर्डर तक जींद–नरवाना और सोनीपत–मेरठ राष्ट्रीय राजमार्ग के चारमार्गीय का कार्य पूरा किया गया है। राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा भिवानी–चरखी दादरी सड़क के चारमार्गीय का कार्य पूरा किया गया है। जींद–करनाल, जींद–गोहाना, जींद–भिवानी के दो/चारमार्गीय, गोहाना–सोनीपत के चारमार्गीय, नारनौल बाईपास के छःमार्गीय और रेवाड़ी–नारनौल राजस्थान सीमा तक के चारमार्गीय, पानीपत–दिल्ली के आठमार्गीय, नारनौल–पनियाला मोड़ के छःमार्गीय, रेवाड़ी बाईपास के चारमार्गीय, सोनीपत से मेरठ सड़क तक के यूपी सीमा तक चारमार्गीय और जींद–गोहाना के ग्रीन फील्ड चारमार्गीय और सोहना से बल्लभगढ़ तक फरीदाबाद बाईपास सहित दिल्ली–नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे तक ग्रीन फील्ड रोड़ का कार्य प्रगति पर है। पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम–पटौदी–रेवाड़ी सड़क के चारमार्गीय का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा हिसार–तोशाम–बाढ़ड़ा–सतनाली–महेंद्रगढ़–रेवाड़ी सड़क को सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।राखीगढ़ी ऐतिहासिक स्थल के साथ बेहतर संयोजिता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को कैथल–जींद–हांसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और भारत माला परियोजना के तहत इस सड़क को चारमार्गीय बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है।

रेलवे अवसंरचना

200. राज्य में रेल संपर्क को बढ़ाने और गैर–सेवारत क्षेत्रों में रेल अवसंरचना के संवर्धन के लिए 5618 करोड़ रुपये की लागत से ''हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर'' बनाया जा रहा है। यह 122 किलोमीटर लम्बी विद्युतीकृत दोहरी रेलवे लाइन सोहना–मानेसर–खरखौदा–दिल्ली को बाईपास करेगी और पलवल को हरसाना कलां से जोड़ेगी। यह लाइन डीएफसी के लिए फीडर लाइन के रूप में कार्य करेगी और हरियाणा के औद्योगिक विकास में योगदान देगी। कुरुक्षेत्र शहर में 5.5 किलोमीटर लम्बी एलिवेटेड रेलवे लाइन

का कार्य सौंपा गया है, जिससे नरवाना–कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन पर पांच रेलवे क्रॉसिंग्स समाप्त होंगे। कैथल शहर के लिए 4.5 किलोमीटर लम्बे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की एक परियोजना तैयार की गई है और स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को भेजी गई है। यह परियोजना कैथल शहर में देवीगढ़ सड़क, करनाल सड़क और ओल्ड अंबाला–हिसार बाईपास पर तीन लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करेगी, जिसके परिणामस्वरूप यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। इसके अलावा, 61 किलोमीटर लम्बी नई करनाल–यमुनानगर रेलवे लाइन और 50 किलोमीटर लम्बी नई जींद–हांसी रेलवे लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया गया है और स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को भेजा गया है। एचआरआईडीसी द्वारा जींद शहर की सभी चार रेलवे लाइनों को जोड़कर पांडु पिंडारा के पास एक नए रेलवे जंक्शन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य पूरा किया जा चुका है और 215.95 करोड़ रुपये की इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है।

नागरिक उड्डयन

201. हिसार में एकीकृत विमानन हब को चरणबद्ध रूप से विकसित करने की योजना है। चरण–I के तहत, हवाई अड्डे के लिए डीजीसीए लाइसेंस प्रदान किए गए। एकीकृत विमानन हब की स्थापना के लिए मौजूदा हवाई पट्टी के साथ लगती 4200 एकड़ भूमि नागरिक उड्डयन विभाग को हस्तांतरित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की समस्त 7200 एकड़ भूमि का मास्टर पर्यावरण नियोजन और शहरी मास्टर नियोजन प्रक्रियाधीन है। एरोस्पेस विनिर्माण, उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, उड्डयन विश्वविद्यालय, अंतर राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयरोट्रोपोलिस (वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय) का कार्य भी विकास के अंतिम चरण में है। भावी योजना के भाग के रूप में सभी हवाई पट्टियों की लंबाई को 5000 फुट तक बढ़ाने और पीपीपी मोड में भिवानी में एक अन्य फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। वर्ष 2021–22 में चार हवाई अड्डों नामतः हिसार, पिंजौर, करनाल और नारनौल में नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

बिजली

202. सरकार सभी को सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली अवसंरचना को सुधारने के लिए कृतसंकल्प है। ''म्हारा गाँव जगमग गाँव'' योजना के तहत, 5080 गाँवों को

कवर करने वाले 1261 फीडरों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के अधीन लाया गया है। अब 10 जिलों नामतः पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा और फतेहाबाद के शत–प्रतिशत गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। नलकूप कनैक्शन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार सभी लम्बित आवेदनों के लिए कनैक्शन जारी करने को प्रतिबद्ध है। उक्त निर्णय से विभिन्न चरणों में कृषि कनैक्शन के आवेदकों को लाभ होने की संभावना है। डिस्कॉम्स द्वारा पांच सितारा ऊर्जा दक्ष पम्पसेट रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और अब डिस्कॉम्स द्वारा तीन सितारा ऊर्जा दक्ष पम्पसेटों की अनुमति भी दी गई है।

203. हरियाणा सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अपनी भूमि पर 77 मैगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और पंचायती भूमि पर 16 मैगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

204. हम डिस्कॉम्स के माध्यम से तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के ठोस प्रयास कर रहे हैं। गत पांच वर्षों के दौरान तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 2015–16 में 30.02 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 17.17 प्रतिशत रह गई हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान ''उदय'' के तहत, डिस्कॉम्स ने लक्षित वर्ष से दो वर्ष पहले ही अपना वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लिया और 412.34 करोड़ रुपये का परिचालन/शुद्ध लाभ दर्ज किया। वर्ष 2018–19 के दौरान, डिस्कॉम्स को दोबारा 280.94 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गईं, जिसके परिणामस्वरूप अब हरियाणा डिस्कॉम्स का 60 प्रतिशत से अधिक राजस्व डिजिटल माध्यमों से एकत्रित किया जा रहा है।

205. सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण डिस्कॉम्स भौतिक रूप से बिल एकत्रित करने में असमर्थ रहा, जिससे डिस्कॉम्स को बहुत कठिनाई हुई। इस संबंध में, स्मार्ट मीटर इन समस्याओं में से अधिकांश के लिए आवश्यक समाधान हो सकता है। हरियाणा डिस्कॉम्स ने तीन वर्षों में 10 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसंबर, 2020 तक कुल 2.15 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए। डिस्कॉम्स ने स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट में प्री–पेड सुविधा, ट्रस्ट रीडिंग

आधारित बिलिंग, बिजली बिल ऑनलाइन देखने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा, डाकघरों के माध्यम से बिजली बिलों का संग्रहण, नए कनेक्शनों के लिए उपभोक्ता संतुष्टि दर और डिलीवरी का औसत समय (दिन) जैसी कई नागरिक केंद्रित सेवाएं शुरू की हैं।

206. भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी डिस्कॉम्स की 8वीं वार्षिक एकीकृत रैंकिंग के अनुसार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बड़ी छलांग लगाई है। इसके फलस्वरूप, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम देश भर में चौथे स्थान के साथ 'ए +' श्रेणी डिस्कॉम्स की सूची में शामिल हो गया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 'ए' श्रेणी डिस्कॉम्स में उच्चतम ग्रेडिंग प्राप्त की है और देश भर में 7वें स्थान पर है।

नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा

207. सभी के लिए ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप सरकार ने पंचकूला की 20 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर/नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने के लक्ष्य के साथ पंचकूला का चयन सौर/ग्रीन सिटी के रूप में विकास करने के लिए किया है। मेरी सरकार ई–मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और इसके लिए राज्यभर में आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। ई–वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यापक नीति बनाई जाएगी।

208. पिछले बजट भाषण में, मैंने राज्य में 3 एचपी से लेकर 10 एचपी क्षमता के 50,000 ऑफ–ग्रिड सौर पंप स्थापित करने की एक योजना की घोषणा की थी। प्रथम चरण में 15,000 ऑफ–ग्रिड सौर पंप और दूसरे चरण में 35,000 ऑफ–ग्रिड सौर पंप स्थापित किए जाने थे। सरकार ने कुल 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है, जिसमें प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत (पीएम–कुसुम) 30 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता और 45 प्रतिशत राज्य सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा, 330 गौशालाओं में 1991 किलोवाट की संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके राज्य में गौशालाओं पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष 2020–21 में, 80 गौशालाओं में लगभग 420 किलोवाट क्षमता के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 में, गौशालाओं में 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है।

209. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान ऐसी 6,000 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाईटें, 12 वॉट की 5000 एलईटी सोलर स्ट्रीट लाईटें और सीसीटीवी कैमरा वाली 1000 हाई मास्ट एलईडी सोलर लाईटस लगाई जाएंगी। इन प्रयासों के तहत राज्य ने ''जैव ऊर्जा नीति'' भी लागू की है। सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए कारगर कदम उठा रही है और यह खुशी की बात है कि हरियाणा को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में देश में दूसरा श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है।

उद्योग और वाणिज्य

210. सुविकसित बुनियादी सुविधाओं, बेहतर सड़क संयोजिता, कुशल मानवशक्ति और गुणवत्तापरक शिक्षा से लैस हरियाणा को हमेशा ही देश की औद्योगिक शक्ति माना गया है। राज्य कारोबार की सहुलियत को बढ़ाने, भौतिक आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रहा है।

211. राज्य ने अपनी नई 'हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति– 2020' लागू की है जो राज्य की औद्योगिक विकास गाथा को आगे बढ़ाएगी। नीति में दिए गए प्रोत्साहनों के माध्यम से राज्य में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और पांच लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। राज्य द्वारा पहचान किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि–व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, हरियाणा लॉजिस्टिक्स, भंडागार एवं खुदरा नीति, हरियाणा टेक्सटाइल नीति और हरियाणा फार्मास्युटिकल पॉलिसी जैसी क्षेत्र विशिष्ट नीतियां लागू की गई हैं। इनमें से प्रत्येक नीति क्षेत्र विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने और उद्योग विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है।

212. हमारी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेष बल देते हुए सूक्ष्म लघु मध्यम नीति (एमएसएमई) 2019 लागू की है जो हरियाणा में गुणवत्तापूर्ण क्लस्टर विकास पहलों, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार विकास, ऑन लाइन मार्केट लिंकेज और एमएसएमई की निर्यात तत्परता को बढ़ाने पर बल देती है। नीति कारोबार की सहुलियत बढ़ाने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और कौशल विकास में सक्षम है। राज्य एमएसएमई के संस्थागत सहयोग को और मजबूत करने के लिए हमने एक समर्पित निदेशालय की स्थापना की है जो हरियाणा के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एवं व्यापारियों के विकास और उन्नति के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। बहुत ही कम

समय में, मेरी सरकार ने बाजारों एवं वित्त तक एमएसएमई की पहुंच को त्वरित करने और बढ़ाने के लिए उदाहरण के तौर पर, एसआईडीबीआई, ईबे जैसे प्रमुख ई–कॉमर्स प्लेयर्स के साथ रणनीतिक सहयोग करने जैसे कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। जहां मौजूदा क्लस्टर विकास नीतियों के माध्यम से राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, वहीं राज्य में सेवा प्रदाताओं के लिए एक सक्षम और समावेशी वातावरण प्रदान करने हेतु मजबूत हैंड होल्डिंग समर्थन के साथ जमीनी स्तर पर केंद्रित पहल की जा रही हैं। एमएसएमई की क्षमताओं एवं योग्यताओं को और बढ़ाने के लिए निदेशालय पांच प्रमुख फोकस क्षेत्रों यानी एयरोस्पेस एवं रक्षा, खिलौना उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्माण एवं औद्योगिक पार्क में हरियाणा की उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगा, जिसके चलते हरियाणा भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया" पहल में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में अग्रणी राज्य बनेगा।

213. हमने एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'हरियाणा एमएसएमई पुनरोद्धार ब्याज लाभ योजना' शुरु की है ताकि वे अपनी मजदूरी/वेतन देने और अन्य संबंधित खर्चों को पूरा कर सके। हम तीन लाख लोगों को अपने लघु उद्यम/आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए दो प्रतिशत की ब्याज दर पर 15000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

214. सोनीपत में खरखौदा के निकट लगभग 3,300 एकड़ भूमि पर एक अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप और सोहना में लगभग 1400 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किये जा रहे हैं। ये टाउनशिप गुरुग्राम–सोहना–अलवर राजमार्ग को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे के निकट होंगे। नंगल चौधरी, नारनौल में 886.78 एकड़ क्षेत्र पर 4000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को पीपीपी मोड में उत्तर भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें माल की आवाजाही के समय को 14 दिन से कम करके 14 घंटे करने की क्षमता है।

215. मेसर्स एटीएल द्वारा आईएमटी सोहना में 7083 करोड़ रुपये के निवेश और 7000 रोजगार सृजित करने की क्षमता वाला एक मेगा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए एचएसआईआईडीसी ने 178 एकड़ भूमि आवंटित की है। कम्पनी की आगामी कुछ वर्षों में स्मार्ट फोनस, दो एवं

तिपहिया ई–वाहनों सहित उद्योगों के लिए बैटरियों की आपूर्ति करने हेतु 7000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है।

216. राज्य की अनुकूल नीतियों ने लगातार हरियाणा को निवेशकों के लिए भरोसेमंद गंतव्य स्थल बनाया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित 495 समझौतों में से 188 समझौते 24,051 करोड़ रुपये के निवेश के साथ क्रिन्यान्वित किये गये हैं या प्रक्रियाधीन है और 32,030 लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।

217. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा 'स्टार्ट अप इंडिया' कार्यक्रम में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। राज्य में 4119 स्टार्ट अप पंजीकृत हुए हैं जो पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में पंजीकृत "स्टार्ट अप"की तुलना में काफी अधिक हैं।

218. प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात क्षेत्र में राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 91701 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ भारत के कुल निर्यात में हरियाणा का लगभग 3.79 प्रतिशत योगदान रहा। राज्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

219. बजट 2021–22 के लिए 10,858 करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूँ, जिसमें से 2985 करोड़ रुपये भवन एवं सड़कों के लिए, 184 करोड़ रुपये नागरिक उड्डयन और 7,089 करोड़ रुपये बिजली के लिए, 270 करोड़ रुपये अक्षय ऊर्जा के लिए और 330 करोड़ रुपये उद्योग एवं व्यापार के लिए हैं। वर्ष 2021–22 का 10,858 करोड़ रुपये का आवंटन वित्त वर्ष 2020–21 के संशोधित अनुमान 9,818 करोड़ रुपये से 10.6 प्रतिशत अधिक है।

पर्यटन

220. केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में कृष्णा सर्किट, रेवाड़ी–महेंद्रगढ़–माधौगढ़–नारनौल हेरिटेज सर्किट, पंचकूला में नाडा साहिब गुरुद्वारा एवं माता मनसा देवी मंदिर और आदि–बद्री के विकास जैसी नई पहल क्रियान्वित की जा रही हैं।

221. हरियाणा की पर्यटन क्षमता का और लाभ उठाने के लिए, सरकार का कुरुक्षेत्र में 134 स्थलों के साथ 40 कोस क्षेत्र में दिव्य कुरुक्षेत्र विकसित

करने का प्रस्ताव है। इस प्रतिष्ठित पर्यटन गंतव्य को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में 50 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

फिल्म सिटी

222. सरकार का सिनेमा जगत को प्रोत्साहित करने और राज्यभर में फिल्म बनाने की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है क्योंकि हरियाणा में मनोरम, ऐतिहासिक स्थल हैं। सरकार का पिंजौर और गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

223. सरकार ने अगस्त, 2020 में कुछ नियमों और शर्तों के साथ एकमुश्त निपटान योजना "समाधान से विकास" को स्वीकृति प्रदान की ताकि लंबे समय से लंबित ईडीसी बकायों की वसूली की जा सके। योजना के तहत लाभ उठाकर कॉलोनाइजरों द्वारा 4 फरवरी, 2021 तक 153.58 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

खनन और भू विज्ञान

224. मेरी सरकार ने खनन रियायतें प्रदान करने के लिए ई–नीलामी प्रणाली क्रियान्वित की है। दिसंबर, 2020 में कुल 119 लघु खनिज खानों में से 58 खानों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया गया। राज्य के सभी जिलों में ई–रवाना प्रणाली शुरू की गई है।

पुलिस

225. हरियाणा पुलिस की सभी 33 नागरिक सेवाएं सरल पोर्टल प्लेटफार्म पर आरंभ की जा चुकी हैं। ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की त्वरित, बाधा मुक्त और पारदर्शी प्रदायगी के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस ने नागरिकों को जारी किये जाने वाले व अत्यधिक उपयोग किये जाने वाले तीन सत्यापन प्रमाण पत्र नामतः (i) चरित्र प्रमाण पत्र (ii) पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र और (iii) प्रतिभा सत्यापन में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को समेकित किया है।

226. हरियाणा सरकार 112/आपात अनुक्रिया सहायता प्रणाली परियोजना क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना का विजन, राज्य में किसी भी समय, कहीं भी, जिन्हें विशेष जरूरत है, उन व्यक्तियों सहित, सभी लोगों की सुरक्षा के लिए तात्कालिक समेकित आपात सेवाएं प्रदान करना है। यह प्रणाली न केवल संकट ग्रस्त नागरिकों के लिए बेहतर अनुक्रिया और समय पर

कार्रवाई के लिए लाभदायक होगी, बल्कि आपात सेवाएं देने वाली विभिन्न एजेंसियों जैसेकि पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन इत्यादि में सुधार करेगी।

227. पुलिस बल में महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय ढंग से बढ़कर वर्ष 2014 के 5.79 प्रतिशत से 2020 में 8.59 प्रतिशत हो गई है। हम इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना चाहते हैं। गुरुग्राम में एक महिला आईआरबी बटालियन और हिसार में महिला पुलिस के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में पांच वर्ष की छूट दी गई है। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए गुरुग्राम में प्रथम प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में डिजिटल जांच–पड़ताल और तकनीकी विश्लेषण केन्द्र खोला गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया, इंटरनेट और साइबर अपराध में अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपराध विज्ञान प्रयोगशाला मधुबन में ट्रेकिंग बार कोडिंग सिस्टम शुरू किया गया है। फरीदाबाद में 6 नये साइबर अपराध पुलिस थाने, अम्बाला रेंज में 5 और करनाल रेंज में 11 नये पुलिस थाने स्वीकृत किये गये हैं।

पुरातत्व एवं अभिलेखागार

228. पंचकूला में राज्य पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। राखीगढ़ी में विवेचन केन्द्र के स्थल संग्रहालय का निर्माण कार्य जारी है। फतेहाबाद में कर्णकोट के पूर्व–हड़प्पा स्थल पर स्थल संग्रहालय स्थापित करने की परियोजना शुरू की गई है। सरकार जिला भिवानी के लोहारू किला और तिगड़ाना (हड़प्पा स्थल), जिला फतेहाबाद में कर्णकोट (भट्टू), जिला फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में रानी की छत्तरी, जिला नूंह में पुराना तहसील भवन नूंह, मकबरा परिसर तावडू और चुहीमल की छत्तरी, जिला जींद में किला जफरगढ़, जिला झज्जर में दुजाना में लाल मस्जिद और बाघवाली कोठी, जिला कैथल में कैथल किला को पंजाब पुरातन ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 के अंतर्गत राज्य के संरक्षण में लेगी।

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण

229. यह गर्व का विषय है कि सशस्त्र सेनाओं में हर दसवां सैनिक हरियाणा राज्य का है। राज्य सरकार सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के साथ–साथ उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र के प्रति उनकी महान सेवाओं और उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करते हुए राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है।

इनमें भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं और वीरांगनाओं को वित्तीय सहायता देना, युद्ध में शहीद होने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये की एक्सग्रेशिया राशि देना, शौर्य और विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार देना, बेटियों के लिए विवाह अनुदान देना, हरियाणा निवासी सेना में नव नियुक्त अधिकारियों को नकद पुरस्कार देना और भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं तथा वीरांगनाओं की समस्याओं का समय पर समाधान करना शामिल है। वर्ष 2020–21 के दौरान युद्ध में शहादत पाने वालों के 27 निकटतम परिजनों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

230. कार्रवाई के दौरान निःशक्त होने पर निःशक्तता की प्रतिशतता के आधार पर 5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है। प्राकृतिक आपदा, चुनाव ड्यूटी, बचाव कार्य, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी आदि के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए निःशक्त होने पर निःशक्तता की प्रतिशतता के आधार पर 15 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

231. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार ने सात जिलों में समेकित सैनिक सदन बनाने की योजना बनाई है। इनमें जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक विश्राम गृह, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य सेवा क्लीनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हाल होगा। सरकार रक्षा बलों में भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और तकनीकी कार्य प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का विचार है।

विदेश सहयोग

232. सरकार ने निवेश, रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने तथा हरियाणवी प्रवासियों के कल्याण के लिए देशवार नीतियां बनाने के लिए विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है। यह विभाग विदेशों में राज्य के हितों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों व विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से गहरे संबंध बनाकर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कार्य समूह के साथ भागीदारी करेगा और हरियाणवी प्रवासियों के साथ मजबूत संबंध सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी विपणन व संचार नीतियां विकसित करेगा।

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा

233. दिसंबर, 2020 में 'एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर' नामक एक नया ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से समयबद्ध रूप से सभी तरह के विज्ञापन जारी और भुगतान किये जा रहे हैं।

234. सरकार ने 20 वर्ष के अनुभव वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने की एक योजना लागू की है। अब तक, 139 मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन स्वीकृत की गई है। मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 5 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का टर्म/ग्रुप इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। मेडिकल इमरजेंसी या मीडियाकर्मियों के निधन के मामले में मीडियाकर्मियों के साथ–साथ उनके परिवार के सदस्यों को 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

235. राज्य सरकार हिंदी अंदोलन–1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन भी प्रदान करती है। अब तक, 205 मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

कला एवं संस्कृति

236. कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा हरियाणा कला परिषद, इतिहास एवं संस्कृति अकादमी और हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की गतिविधियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने और जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

आयोजना

237. आयोजना विभाग द्वारा जिला योजना स्कीम के तहत प्राथमिकता आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय विकास कार्य करवाए जाते हैं। जिला लोक सम्पर्क एवं शिकायत निवारण कमेटी का नेतृत्व करने वाले मंत्री की अध्यक्षता में सभी 22 जिलों में गठित जिला विकास एवं निरीक्षण कमेटियों की स्वीकृति के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, गलियां, सामुदायिक भवन और खेल आदि से संबंधित अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं।

238. मैं बजट अनुमान 2021–22 में 5779 करोड़ रुपये पुलिस विभाग, 1,121 करोड़ रुपये नगर एवं ग्राम आयोजना, 113 करोड़ रुपये पर्यटन,

131 करोड़ रुपये खनन एवं भू विज्ञान, 73 करोड़ रुपये पुरातत्व एवं अभिलेखागार 143 करोड़ रुपये, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण और 10 करोड़ रुपये विदेश सहयोग विभाग, 281 करोड़ रुपये सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 19 करोड़ रुपये कला एवं संस्कृति, 446 करोड़ रुपये आयोजना विभाग के लिए प्रस्तावित करता हूँ।

निष्कर्ष

239. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विभागों के चहुंमुखी विकास के लिए अनेक पहल की है। मैं इस बजट को 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' के मूलमंत्र के साथ राज्य के लोगों को समर्पित करता हूँ। मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरा बजट भाषण आपने बड़े धैर्य से सुना।

240. अब मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि आप इस गरिमामयी सदन में बजट प्रस्तावों पर चर्चा व विचार–मंथन करके इन्हें अंगीकार करें। ये बजट प्रस्ताव राज्य के लोगों को समर्पित हैं और हरियाणा को विकास की प्राथमिकताओं व अत्याधिक प्रगति के साथ राजकोषीय विवेक के सामंजस्य के साथ अग्रणी राज्य के रूप में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम हैं।

241. मैं माननीय सदन को हरियाणा सरकार की इस प्रतिबद्धता के प्रति आश्वस्त करता हूं कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने तथा राज्य में सतत आर्थिक विकास व न्यायोचित सामाजिक और क्षेत्रीय विकास के लिए सभी प्रयास करेंगे व कड़ी मेहनत करेंगे।

242. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं वर्ष 2021–22 के बजट प्रस्ताव सदन के विचार–मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द।